भारत के प्रमुख वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम

Important: छात्र कृपया इस संदर्भ मैटेरियल के साथ अपने क्लास-नोट्स को अवश्य जोड़ कर पढ़ें

1. भारत में बाघ संरक्षण

1.1. बाघ

- बाघ (*पेंथेरा टाइग्रिस*) फेलिडे परिवार के स्तनधारी हैं और *पैंथेरा जीनस* में चार "बड़ी बिल्लियों" में से एक हैं।
- यह सभी एशियाई बड़ी बिल्लियों में से सबसे बड़े होते हैं। बाघ शिकार के लिए मुख्य रूप से गंध के बजाय दृष्टि और ध्वनि पर निर्भर होते हैं।
- बड़ी बिल्लियों में केवल टाइगर और जगुआर ही मजबूत तैराक हैं।
- बाघ अकेले शिकार करते हैं और मुख्य रूप से मध्यम से बड़े आकार के शाकाहारी जानवर जैसे हिरण, जंगली सूअर, गौर और जल भैंस को खाते हैं।
- दुनिया भर में, बाघों को **संकटग्रस्त** (endangered) जानवर माना जाता है।
- रॉयल बंगाल टाइगर, बाघ की सबसे आम उप-प्रजाति है और यह भारत का राष्ट्रीय पशु है।

1.1.1. प्राकृतिक आवास

- बाघ विभिन्न प्रकार के आवासों में रहते हैं जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षावन, मैंग्रोव दलदल, सदाबहार वन, घास के मैदान, सवाना और चट्टानी क्षेत्र।
- जंगल में, रॉयल बंगाल टाइगर बांग्लादेश, नेपाल, भारत, भूटान और बर्मा और चीन के कुछ हिस्सों के खंडित क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय जंगलों, दलदली भूमि और लंबे घास के मैदानों में रहते हैं।

1.1.2. संरक्षण के मुद्दे

- अपनी सीमा के पार, बाघों को अवैध शिकार, जवाबी हत्याओं, और निवास स्थान के नुकसान से लगातार दबाव का सामना करना पड़ता है।
- उन्हें घनी और अक्सर बढ़ती मानव आबादी के साथ स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करना पड़ता हैं।

1.2. प्रोजेक्ट टाइगर

1.2.1. प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत

- प्रोजेक्ट टाइगर **1 अप्रैल, 1973 को** भारत में शुरू की गई एक वन्यजीव संरक्षण परियोजना है।
- इस परियोजना को उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में शुरू किया गया था।

1.2.2. प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य

- प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य रॉयल बंगाल टाइगर्स (*पैंथेरा टाइग्रिस टाइग्रिस*) को विलुप्त होने से बचाना था।
- परियोजना का उद्देश्य विशेष रूप से गठित बाघ अभयारण्यों में बाघों का संरक्षण करना और उनके प्राकृतिक वातावरण में व्यवहार्य बाघों की आबादी को बनाए रखना है।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES KHAN SIR

1.2.3. प्रोजेक्ट टाइगर की पृष्ठभूमि

- प्रोजेक्ट टाइगर से पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1970 में डॉ कर्ण सिंह की अध्यक्षता में **टाइगर टास्क फोर्स की नियुक्ति** की थी।
- इस टास्क फोर्स ने 1972 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। रिपोर्ट में भारत में सिर्फ 1827 बाघों के होने का खुलासा हुआ था।
- जैविक दबाव को देखते हुए, रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि अगर तत्काल संरक्षण के उपाय नहीं किए गए तो 20वीं सदी के अंत तक बाघ विलुप्त हो जायेंगे।
- 1970 के दशक में, विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में **9 टाइगर रिजर्व** स्थापित किए गए थे।
- प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत में स्थापित 9 टाइगर रिजर्व थे:

    ○ मानस (असम), पलामू (बिहार), सिमिलिपाल (उड़ीसा), कॉर्बेट (उत्तर प्रदेश), कान्हा (मध्य प्रदेश), मेलघाट (महाराष्ट्र), बांदीपुर (कर्नाटक), रणथंभौर (राजस्थान) और सुंदरबन (पश्चिम बंगाल)।

1.2.4. प्रोजेक्ट टाइगर की रणनीति

- रिजर्व के भीतर मानव गतिविधि को प्रतिबंधित करने के प्रयास में पहली टास्क फोर्स ने **कोर-बफर रणनीति** तैयार की थी।
- मुख्य क्षेत्रों को एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में नामित किया गया था और सभी **मानवीय गतिविधियों पर प्रतिबंध** लगा दिया गया था; और बफर क्षेत्र **'संरक्षण उन्मुख भूमि उपयोग'** के अधीन थे।
- मुख्य क्षेत्रों से लोगों को स्थानांतरित करने का विचार था, लेकिन वे बफर क्षेत्रों में बाघों के साथ सह-अस्तित्व में रह सकते थे।
- संरक्षण सिद्धांतों के आधार पर प्रत्येक टाइगर रिजर्व के लिए प्रबंधन योजना तैयार की गई थी।

KGS KHAN GLOBAL STUDIES IAS Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

1.2.5. फंडिंग पैटर्न

- सभी गैर-आवर्ती वस्तुओं पर व्यय के लिए राज्यों को 60% केंद्रीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है।
- आवर्ती वस्तुओं के लिए, केंद्रीय सहायता व्यय के 50% तक सीमित है, जबकि परियोजना राज्यों द्वारा एक समान अनुदान प्रदान किया जाता है।
- उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों को दोनों मामलों में 90% केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

1.2.6. प्रोजेक्ट टाइगर का प्रशासन

- प्रोजेक्ट टाइगर को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा प्रशासित किया जाता है।
- परियोजना के समग्र प्रशासन की निगरानी एक संचालन समिति द्वारा की जाती है, जिसका नेतृत्व एक निदेशक करता है।

1.2.7. प्रोजेक्ट टाइगर की उपलब्धियां

- प्रोजेक्ट टाइगर ने लुप्तप्राय बाघ को विलुप्त होने से बचाया है, और इसके निवास स्थान की सुरक्षा और स्थिति में सुधार करके प्रजातियों को पुनर्प्राप्ति के लिए एक सुनिश्चित मार्ग पर रखा है।

- भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर 2023 को 'प्रोजेक्ट टाइगर' के 50वें वर्ष के रूप में चिह्नित किया है।
- 1973 में नौ टाइगर रिजर्व से बढ़कर 2024 में 55 टाइगर रिजर्व हो गए है।
- प्रमुख प्रजातियों का संरक्षण करते हुए, परियोजना ने पौधों और जानवरों की कई अन्य प्रजातियों को विलुप्त होने से बचाया है।
- राज्यों को स्थानीय कार्यबल, पूर्व सैन्य कर्मियों की तैनाती के माध्यम से सुरक्षा बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।
- सीमांत क्षेत्रों में पर्यावरण विकास संबंधी निवेशों के अलावा पर्यावरण पर्यटन से स्थानीय समुदाय लाभान्वित हो रहे हैं।
- परियोजना ने वन्यजीव प्रबंधन योजना, आवास बहाली, संरक्षण और पर्यावरण विकास के लिए एक रोल मॉडल के रूप में कार्य किया है।

भारत में टाइगर रिजर्व की सूची (अप्रैल, 2024 तक)

क्रमांक	टाइगर रिजर्व (TR)	राज्य	TR अधिसूचना वर्ष	कुल क्षेत्रफल (वर्ग किमी)
1	बांदीपुर	कर्नाटक	2007	1456.3
2	कॉर्बेट	उत्तराखंड	2010	1288.31
	अमानगढ़ बफर*	उत्तर प्रदेश	2012	80.60
3	कान्हा	मध्य प्रदेश	2007	2,051.79
4	मानस	असम	2008	2,837.10
5	मेलघाट	महाराष्ट्र	2007	2,768.52
6	पलामू	झारखंड	2012	1,129.93

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform

7	रणथंभौर	राजस्थान	2007	1,411.29
8	सिमलीपाल	ओडिशा	2007	2,750.00
9	सुंदरबन	पश्चिम बंगाल	2007	2,584.89
10	पेरियार	केरल	2007	925.00
11	सरिस्का	राजस्थान	2007	1,213.34
12	बुक्सा	पश्चिम बंगाल	2009	757.90
13	इंद्रावती	छत्तीसगढ़	2009	2,799.07
14	नमदाफा	अरुणाचल प्रदेश	1987	2,052.82
15	नागार्जुनसागर सागर	आंध्र प्रदेश	2007	3,296.31
16	दुधवा	उत्तर प्रदेश	2010	2,201.77
17	कलक्काड़ मुंडनतुरई	तमिलनाडु	2007	1,601.54
18	वाल्मिकी	बिहार	2012	899.38
19	पेंच	मध्य प्रदेश	2007	1,179.63
20	ताडोबा अंधारी	महाराष्ट्र	2007	1,727.59
21	बांधवगढ़	मध्य प्रदेश	2007	1,536.93

22	पन्ना	मध्य प्रदेश	2007	1,598.10
23	डम्पा	मिजोरम	2007	988.00
24	भद्र	कर्नाटक	2007	1,064.29
25	पेंच – MH	महाराष्ट्र	2007	741.22
26	पक्के	अरुणाचल प्रदेश	2012	1,198.45
27	नामेरी	असम	2000	464.00
28	सतपुड़ा	मध्य प्रदेश	2007	2,133.31
29	अन्नामलाई	तमिलनाडु	2007	1,479.87
30	उदंती सीतानदी	छत्तीसगढ़	2009	1,842.54
31	सतकोशिया	ओडिशा	2007	963.87
32	काजीरंगा	असम	2007	1,173.58
33	अचानकमार	छत्तीसगढ़	2009	914.02
34	काली	कर्नाटक	2007	1,097.51
35	संजय धुबरी	मध्य प्रदेश	2011	1,674.50
36	मुदुमलई	तमिलनाडु	2007	688.59
37	नागरहोल	कर्नाटक	2007	1,205.76

KGS IAS

38	परम्बिकुलम	केरल	2009	643.66
39	सह्याद्री	महाराष्ट्र	2012	1,165.57
40	बिलिगिरि रंगनाथ मंदिर	कर्नाटक	2007	574.82
41	कवल	तेलंगाना	2012	2,015.44
42	सत्यमंगलम	तमिलनाडु	2013	1,408.40
43	मुकुंदरा	राजस्थान	2013	759.99
44	नवेगांव नागझिरा	महाराष्ट्र	2013	1,894.94
45	अमराबाद	तेलंगाना	2015	2,611.39
46	पीलीभीत	उत्तर प्रदेश	2014	730.25
47	बोर	महाराष्ट्र	2012	816.27
48	राजाजी	उत्तराखंड	2015	1075.17
49	ओरंग	असम	2016	492.46
50	कमलांग	अरुणाचल प्रदेश	2017	783.00
51	श्रीविल्लिपुथुर मेगामलाई	तमिलनाडु	2021	1016.57

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

52	रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व	राजस्थान	2022	1501.8921
53	रानीपुर टाइगर रिजर्व	उत्तर प्रदेश	2022	529.3612
54	वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व	मध्य प्रदेश	2023	2339.12
55	धौलपुर - करौली टाइगर रिजर्व	राजस्थान	2023	599.6406
			कुल	78,735.5966 वर्ग कि.मी

*** अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड का एक बफर जोन है और इसे एक अलग टाइगर रिजर्व के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसमें 80.6 वर्ग किमी (31.1 वर्ग मीटर) का एक बफर जोन है, लेकिन महत्वपूर्ण बाघ आवास का कोई मुख्य क्षेत्र नहीं है।**

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES KHAN SIR

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA)

- 2005 के टाइगर टास्क फोर्स द्वारा अनुशंसित **वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2006 के तहत** NTCA का गठन किया गया है।
- इसकी स्थापना पर्यावरण और वन मंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली में मुख्यालय के साथ की गई थी।
- NTCA का उद्देश्य प्रोजेक्ट टाइगर को वैधानिक अधिकार प्रदान करना है ताकि इसके निर्देशों का अनुपालन कानूनी हो सके।
- प्राधिकरण राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के अलावा टाइगर रिजर्व में बाघ संरक्षण के लिए मानक और दिशानिर्देश निर्धारित करता है।

- यह भविष्य की संरक्षण योजना, बाघ अनुमान, रोग निगरानी, मृत्यु दर सर्वेक्षण, गश्त, अप्रिय घटनाओं पर रिपोर्ट और ऐसे अन्य प्रबंधन पहलुओं सहित सुरक्षा उपायों पर जानकारी प्रदान करता है, जैसा भी यह उचित समझे।

1.3. बाघों की गणना

- यह हर चार साल में एक बार आयोजित किया जाता है।
- राष्ट्रव्यापी बाघ गणना पहले 2006, 2010, 2014 और 2018 में आयोजित की गई थी।
- NTCA राज्य के वन विभागों, संरक्षण गैर सरकारी संगठनों और भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) के साथ साझेदारी में बाघों की गणना करता है।

1.3.1. बाघ गणना 2022

- अखिल भारतीय बाघ अनुमान (2022) का पांचवां चक्र **09 अप्रैल, 2023 को जारी** किया गया था।

बाघ गणना 2022 के मुख्य बिंदु

जनसंख्या वृद्धि

- भारत में बाघों की आबादी 2018 से 2022 तक 200 बढ़ी है।
- 2018 में दर्ज 2,967 से 2022 में जनसंख्या बढ़कर **3,167** हो गई।
- हालांकि, 2014-2018 के तुलना में इन चार वर्षों में विकास दर लगभग 33 प्रतिशत से घटकर 6.7 प्रतिशत हो गई है।
- शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के बाढ़ के मैदानों में बाघों की आबादी सबसे अधिक बढ़ी है, इसके बाद मध्य भारत, उत्तर पूर्वी पहाड़ियों, ब्रह्मपुत्र बाढ़ के मैदानों और सुंदरबन का स्थान आता है।

बाघ अधिभोग में गिरावट

- पश्चिमी घाटों की संख्या में गिरावट आई है, हालांकि "प्रमुख आबादी" को स्थिर बताया गया है।
- अन्नामलाई-परम्बिकुलम परिसर के संरक्षित क्षेत्रों के बाहर भी बाघों के रहने की संख्या में गिरावट देखी गई।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

- हालांकि पेरियार परिदृश्य में बाघों की आबादी स्थिर रही, पेरियार के बाहर बाघों की संख्या में कमी आई है।
- झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में बाघों के अधिभोग में गिरावट देखी गई।

परिदृश्य में संरक्षण प्राथमिकता

- सिमलीपाल में बाघों की आनुवंशिक रूप से अद्वितीय और छोटी आबादी परिदृश्य में उच्च संरक्षण प्राथमिकता है।
- उत्तरपूर्वी पहाड़ी बाघों की आबादी आनुवंशिक रूप से अद्वितीय है और उनकी कम जनसंख्या आकार और आनुवंशिक रूप से अद्वितीय वंशावली के कारण देश में संरक्षण कार्रवाई की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
- परिदृश्य (शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के मैदानों) में टाइगर रिज़र्व के बाहर बाघों की संख्या बढ़ने के कारण, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को बाघों और मेगा शाकाहारी जीवों के साथ संघर्ष को कम करने के लिए निवेश करने की आवश्यकता है।

वन्यजीव आवास में खतरा

- मध्य भारतीय के पहाड़ी इलाके और पूर्वी घाटों के भीतर वन्यजीव आवास (संरक्षित क्षेत्र और गलियारे) कई प्रकार के खतरों का सामना करते हैं, जिनमें आवास अतिक्रमण, बाघों और उनके शिकार दोनों का अवैध शिकार शामिल है।
- मानव और वन्य जीवन के बीच संघर्ष, अनियंत्रित और अवैध पशु चराई, गैर-लकड़ी वन उपज की अत्यधिक कटाई, मानव प्रेरित जंगल की आग, खनन, और कभी-विस्तारित रैखिक बुनियादी ढांचा भी आम हैं।
- इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण खनिजों की कई खदानें भी हैं, इसलिए न्यून खनन प्रभाव तकनीक और खनन स्थलों के पुनर्वास जैसे शमन उपायों को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए।

1.4. अन्य संरक्षण प्रयास

1.4.1. इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA)

- **भारत ने 9 अप्रैल, 2023 को** इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA) लॉन्च किया।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES KHAN SIR

- यह दुनिया में **बड़ी बिल्ली की सात प्रमुख प्रजातियों के रक्षण** और संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- ये प्रजातियां बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता हैं।
- गठबंधन इन सात बड़ी बिल्ली के प्रजातियों के संरक्षण प्रयासों पर सहयोग करने के लिए दुनिया भर के देशों, संरक्षणवादियों और विशेषज्ञों को एक साथ लाना चाहता है।
- IBCA के माध्यम से, भारत इन प्रजातियों के संरक्षण में ज्ञान, विशेषज्ञता और सर्वोत्तम प्रथाओं को अन्य देशों के साथ साझा करने की उम्मीद करता है जैसे इंडोनेशिया, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, जहां बड़ी बिल्ली आबादी है ।
- गठबंधन का उद्देश्य संरक्षण के लिए स्थायी समाधान बनाने के लिए सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाना है।

1.4.2. क्रिटिकल टाइगर हैबिटैट्स (CTHs)

- क्रिटिकल 'टाइगर' हैबिटैट्स (CTHs), जिसे टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है- की पहचान **वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत** की जाती है।
- यह वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित है कि "अनुसूचित जनजातियों या ऐसे अन्य वनवासियों के अधिकारों को प्रभावित किए बिना, बाघ संरक्षण के उद्देश्य से ऐसे क्षेत्रों को अछूता रखा जाना आवश्यक है"।
- CTH की अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए गठित विशेषज्ञ समिति के परामर्श से की जाती है।
- आंध्र प्रदेश में **नागार्जुनसागर-श्रीशैलम टाइगर रिजर्व** भारत में सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है, जिसमें **CTH के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है।**

1.4.3. एकीकृत बाघ पर्यावास संरक्षण कार्यक्रम (Integrated Tiger Habitat Conservation Programme-ITHCP)

- इसे 2014 में लॉन्च किया गया था।
- यह जर्मन आर्थिक सहयोग और विकास के लिए संघीय मंत्रालय (German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development-BMZ) द्वारा समर्थित एक रणनीतिक वित्त पोषण तंत्र है।

- यह ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम में योगदान दे रहा है, जो 2022 तक जंगलों में बाघों की संख्या दोगुनी करने का एक वैश्विक प्रयास है।

1.5. अंतर्राष्ट्रीय पहल

1.5.1. अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस

- बाघ संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए **हर साल 29 जुलाई को** अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस (जिसे वैश्विक बाघ दिवस भी कहा जाता है) मनाया जाता है।
- इस दिन को मनाने का लक्ष्य जंगली बाघों के आवासों के संरक्षण और विस्तार को बढ़ावा देना और बाघ संरक्षण के लिए जागरुकता के माध्यम से समर्थन प्राप्त करना है।
- इसकी स्थापना 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग बाघ सम्मेलन में हुई थी।
- शिखर सम्मेलन ने 2022 तक बड़ी बिल्ली की आबादी को दोगुना करने के उद्देश्य से बाघ संरक्षण पर सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा जारी की थी।

1.5.2. सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा

- बाघों को विलुप्त होने से बचाने के प्रयास में, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में 21-24 नवंबर 2010 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बाघ संरक्षण फोरम में 13 सरकारी प्रतिनिधियों की बैठक हुई।
- उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा का समर्थन किया और 2022 तक बाघों की संख्या को दोगुना करने पर सहमत हुए।
- बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम टाइगर रेंज के देश हैं जो ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम, सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा द्वारा परिकल्पित रणनीतिक योजना को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। .
- 13 देशों ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने, प्रजातियों के आवासों और सीमा पार गलियारों को बहाल करने में मदद करने के लिए वैज्ञानिक निगरानी में सुधार करने और बाघों और बाघ उत्पादों के अवैध व्यापार को रोकने पर सहमति व्यक्त की।
- रिकवरी प्रोग्राम सेंट पीटर्सबर्ग लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्थानीय लोगों को बाघों की रक्षा के लिए प्रोत्साहन देने और वन्यजीव कानून प्रवर्तन और कानून को मजबूत करने के महत्व को रेखांकित करता है।

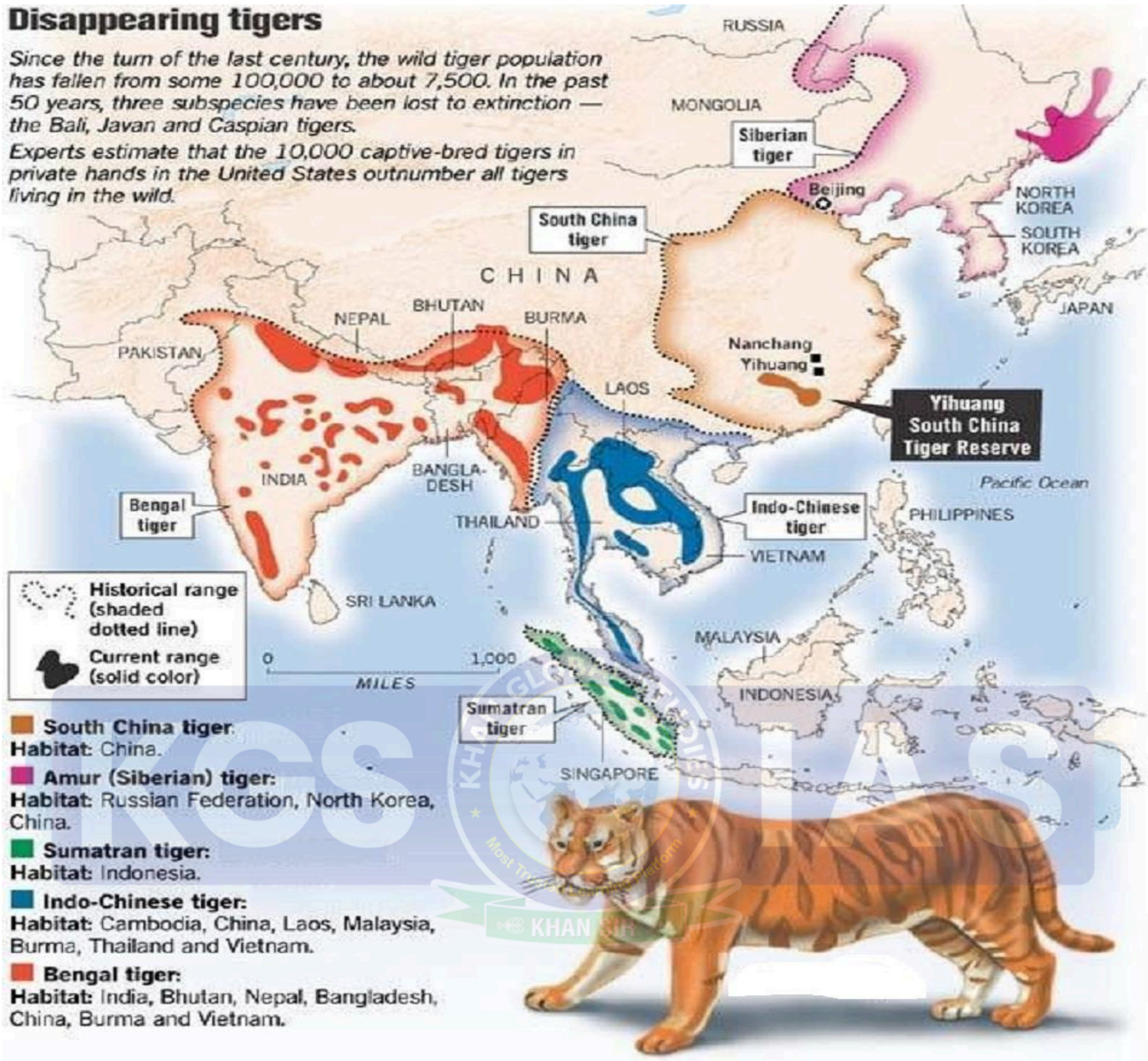

Figure: टाइगर/बाघ रेंज के देश

1.5.3. ग्लोबल टाइगर फोरम (GTF)

- ग्लोबल टाइगर फोरम (GTF) एकमात्र अंतर-सरकारी अंतरराष्ट्रीय निकाय है, जिसकी स्थापना बाघों की रक्षा के लिए वैश्विक अभियान शुरू करने के इच्छुक देशों के सदस्यों के साथ की गई है।
- GTF का गठन 1993 में नई दिल्ली, भारत में बाघ संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की सिफारिशों पर किया गया था।
- यह दुनिया के **13 टाइगर रेंज के देशों** में वितरित बाघों की शेष 5 उप-प्रजातियों को बचाने पर केंद्रित है।

- यह सहकारी नीतियों, सामान्य दृष्टिकोण, तकनीकी विशेषज्ञता, वैज्ञानिक मॉड्यूल और अन्य उपयुक्त कार्यक्रमों का उपयोग करता है।
- फोरम की स्थापना के लिए टाइगर रेंज देशों की पहली बैठक 1994 में हुई थी, जिसमें भारत को अध्यक्ष के लिए चुना गया था और एक अंतरिम सचिवालय बनाने के लिए कहा गया था।
- 1997 में, GTF एक स्वतंत्र संगठन बन गया।

2. भारत में शेर संरक्षण

2.1. एशियाई शेर

- इसका वैज्ञानिक नाम *पैंथेरा लियो पर्सिका* है।
- यह शेर की एक उप-प्रजाति है जो आज भारत के गुजरात के गिर वन में ही जीवित है।
- खतरे वाली प्रजातियों की IUCN रेड लिस्ट में, उन्हें **संकटग्रस्त** (Endangered) प्रजातियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- एशियाई शेर पहले भूमध्यसागर से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर-पूर्वी हिस्सों तक फैले हुए थे, लेकिन अत्यधिक शिकार, जल प्रदूषण और प्राकृतिक शिकार (prey) में गिरावट ने उनके निवास स्थान को कम कर दिया।

2.1.1. संरक्षण के मुद्दे

- शेरों को अवैध शिकार और आवास विखंडन के सामान्य खतरों का सामना करना पड़ता है।
- गिर वन की परिधि के किसान (जिन्हें मालधारी कहा जाता है) अक्सर अपरिष्कृत और अवैध विद्युत बाड़ का उपयोग करते हैं।
    - ये आमतौर पर अपनी फसलों को नीलगाय से बचाने के लिए होते हैं लेकिन शेर और अन्य वन्यजीव भी मारे जाते हैं।
- पशुओं पर हमला करने के कारण शेरों को अक्सर जहर दे दिया जाता है।
- सिंचाई के लिए क्षेत्र में किसानों द्वारा खोदे गए लगभग 15,000 से 20,000 खुले कुओं के कारण कई शेर डूब जाते हैं।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

- बाढ़, आग और महामारी। शेरों की प्रतिबंधित सीमा उन्हें विशेष रूप से सुभेद्य बनाती है।
- आवास अतिप्रजन। गिर का जंगल अब शेरों से भर गया है। यदि यही स्थिति बनी रही तो शीघ्र ही वहन क्षमता से संबंधित समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

2.2. संरक्षण के प्रयास

- वर्ष 1910 में पहली बार एशियाई शेरों के संरक्षण के प्रयास किए गए।
- जूनागढ़ के नवाब ने अपने प्रांत की सीमाओं के भीतर शेरों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब भी यह प्रतिबंध जारी रहा।
- 1960 के दशक में, गिर वन, अंतिम जीवित भारतीय शेरों का घर, एक राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में परिवर्तित कर दिया गया था।
- शेर संरक्षण कार्यक्रम 1965 में शुरू किया गया था। तब से शेरों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
- वर्तमान में, मध्य प्रदेश में कूनो-पालपुर परियोजना गिर में शेरों की भीड़ को कम करने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। शेरों की अधिक आबादी को यहां स्थानांतरित किया जाएगा। पालपुर-कुनो पूर्व में शेरों का निवास स्थान रहा है।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

2.3. प्रोजेक्ट लायन

2.3.1. प्रोजेक्ट लायन की शुरुआत

- प्रोजेक्ट लायन की घोषणा 15 अगस्त, 2020 को 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान की गई थी।
- इसको एशियाई शेर के संरक्षण के लिए शुरू किया गया है, जिसकी अंतिम शेष वन्य आबादी गुजरात के एशियाई शेर लैंडस्केप में है।

2.3.2. प्रोजेक्ट लायन का उद्देश्य

- इसका उद्देश्य प्रबंधन में आधुनिक तकनीकों के साथ-साथ शेरों में बीमारियों के मुद्दे को संबोधित करते हुए आवास विकास करना है।

- यह परियोजना मानव-वन्यजीव संघर्ष को भी संबोधित करेगी। इसमें शेरों के परिदृश्य के आसपास रहने वाले स्थानीय समुदायों को शामिल किया जाएगा और आजीविका के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे।

2.3.3. प्रोजेक्ट लायन का कार्यान्वयन

- यह परियोजना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन होगी और इसे प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर बनाया गया है।
- परियोजना ने शेरों के प्रजनन के उद्देश्य से सौराष्ट्र के रामपारा और जूनागढ़ के सक्करबाग और सतवीरदा में तीन "जीन पूल" स्थानों की स्थापना की है।
- इस परियोजना ने देश में इन प्रजातियों के पुन: परिचय के छह नए संभावित स्थानों की भी पहचान की है।

2.3.4. छह नई संभावित स्थाने

कूनो-पालपुर वन्यजीव अभयारण्य के अलावा प्रोजेक्ट लायन के तहत पहचाने गए छह नए स्थान हैं:

- माधव राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश।
- सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य, राजस्थान।
- मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, राजस्थान।
- गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, मध्य प्रदेश।
- कुम्भलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, राजस्थान।
- जेस्सोर-बलराम अंबाजी WLS और आसपास के परिदृश्य, गुजरात।

2.3.5. गतिविधियाँ

'प्रोजेक्ट लायन' एशियाई शेरों के दीर्घकालिक संरक्षण और उनकी भलाई और भरण-पोषण के लिए स्थायी और वैकल्पिक आजीविका विकल्पों को अपनाने में हितधारकों के सशक्तिकरण की परिकल्पना करता है। 2022 के दौरान प्रोजेक्ट लायन में निम्नलिखित गतिविधियाँ शुरू की गई हैं:

- अखिल भारतीय वन्यजीव रोग निदान अनुसंधान एवं रेफरल केंद्र की स्थापना का खाका तैयार कर लिया गया है और स्थलों की पहचान कर ली गई है।
- 'प्रोजेक्ट लायन: लायन @47 विज़न फॉर अमृतकाल' शीर्षक वाला दस्तावेज़ तैयार किया गया है और आगे की कार्रवाई के लिए गुजरात राज्य सरकार के साथ साझा किया गया है।

- राज्य में गुजरात वन विभाग द्वारा किये गये कार्य:
    - पर्यावास सुधार।
    - रेडियो कॉलरिंग, कैमरा ट्रैप, टेलीमेट्री, सिम्बा के माध्यम से निगरानी और ई-गुजरात के माध्यम से गश्त।
    - मानव-वन्यजीव संघर्ष प्रबंधन।
    - पर्यावरण-विकास कार्य।
    - जागरूकता सृजन और संवेदीकरण।

2.4. एशियाई शेरों की स्थिति

- जून 2020 में, गुजरात वन विभाग ने गिर वन क्षेत्र में एशियाई शेरों की आबादी में वृद्धि की घोषणा की।
- 2015 की सिंह गणना में 523 की तुलना में **कुल 674 शेर** दर्ज किए गए।
- गिनती का अनुमान 15वीं सिंह गणना के स्थान पर पूनम एवलोकन नामक जनसंख्या अवलोकन अभ्यास से लगाया गया।
- शेरों की 15वीं गणना 5 और 6 जून 2020 को होने वाली थी, लेकिन कोविड-19 के प्रकोप के कारण इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया।
- 2015 में पिछली गणना से शेरों की आबादी में लगभग **29% की वृद्धि** हुई है।
- इसके अलावा, शेरों का वितरण 2015 में 22,000 वर्ग किमी से बढ़कर 2020 में 30,000 वर्ग किमी हो गया है। इससे पता चलता है कि गिर के जंगलों के शेरों के भौगोलिक वितरण क्षेत्र में 36% की वृद्धि हुई है।
- पिछले कई वर्षों में, सामुदायिक भागीदारी, प्रौद्योगिकी पर जोर, वन्यजीव स्वास्थ्य देखभाल, उचित आवास प्रबंधन और मानव-शेर संघर्ष को कम करने के कदमों के कारण गुजरात में शेरों की आबादी लगातार बढ़ रही है।

3. भारत में गैंडे का संरक्षण

3.1. एक-सींग वाला गैंडा (भारतीय गैंडा)

- भारतीय गैंडा (*राइनोसेरोस यूनिकॉर्निस*), जिसे एक-सींग वाला गैंडा भी कहा जाता है, राइनोसेरोटिडे परिवार से संबंधित है।
- यह IUCN रेड लिस्ट में **सुभेद्य** (Vulnerable) प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध है।
- यह मुख्य रूप से उत्तर-पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में और नेपाल के तराई में संरक्षित क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां आबादी हिमालय की तलहटी में नदी के घास के मैदानों तक ही सीमित है।
- 2260 किग्रा और 3000 किग्रा के बीच वजनी, यह चौथा सबसे बड़ा भूमि जानवर है और इसका एक सींग है, जिसकी लंबाई 20 सेमी से 57 सेमी है।

राइनो (गैंडों) की पांच प्रजातियां

- गैंडों की पाँच प्रजातियाँ हैं: अफ्रीका में सफ़ेद और काले गैंडे, और एशिया में ग्रेटर वन-हॉर्न्ड (एक-सींग), जावन और सुमात्रान राइनो प्रजातियाँ।

IUCN रेड लिस्ट में पांच राइनो प्रजातियों की स्थिति

- **काला गैंडा: गंभीर रूप से संकटग्रस्त (Critically Endangered)**
- सफेद राइनो: निकट संकटग्रस्त (Near Threatened)
- एक सींग वाला राइनो: सुभेद्य (Vulnerable)
- **जावन राइनो: गंभीर रूप से संकटग्रस्त (Critically Endangered)**
- **सुमात्राण राइनो: गंभीर रूप से संकटग्रस्त (Critically Endangered)**

3.1.1. संरक्षण के मुद्दे

- उन्नीसवीं और बीसवीं सदी की शुरुआत में, भारतीय गैंडों का लगातार शिकार किया जाता था।
- भारतीय गैंडे का उसके सींग के लिए अवैध रूप से शिकार किया जाता है, जिसके बारे में पूर्वी एशिया की कुछ संस्कृतियों का मानना है कि उसके सींग में चिकित्सा की शक्ति है और इसलिए इसका उपयोग पारंपरिक चीनी चिकित्सा और अन्य ओरिएंटल दवाओं के लिए किया जाता है।

- पर्यावास हानि से भी इन्हे खतरा है।

3.2. संरक्षण के प्रयास

- 1900 की शुरूआत में, अधिकारी गैंडों की घटती संख्या से चिंतित हो गए।
- 1908 तक, गैंडों की मुख्य श्रेणियों में से एक, काजीरंगा में, आबादी लगभग 12 हो गई थी। 1910 में, भारत में गैंडों के सभी शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
- ऑपरेशन राइनो संरक्षण की एक बड़ी सफलता है। 1900 के प्रारंभ में केवल 100 गैंडे रह गए थे; एक सदी बाद, उनकी आबादी फिर से बढ़कर लगभग 2000 हो गई।
- नेपाल और भारत की सरकारों ने विश्व वन्यजीव कोष (WWF) की मदद से भारतीय गैंडों के संरक्षण की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं।
- काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान (गैंडों की सबसे अधिक संख्या वाला) और पोबितोरा आरक्षित वन (दुनिया में सबसे अधिक भारतीय राइनो घनत्व वाला) गैंडों के सबसे महत्वपूर्ण आवास हैं।
- 2019 में भारत द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय राइनो संरक्षण रणनीति का उद्देश्य 2030 तक राइनो वितरण को 5% तक बढ़ाना है।
    - इसने भारत और नेपाल के बीच एक सींग वाले गैंडों के संरक्षण के लिए सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया है।

KGS IAS

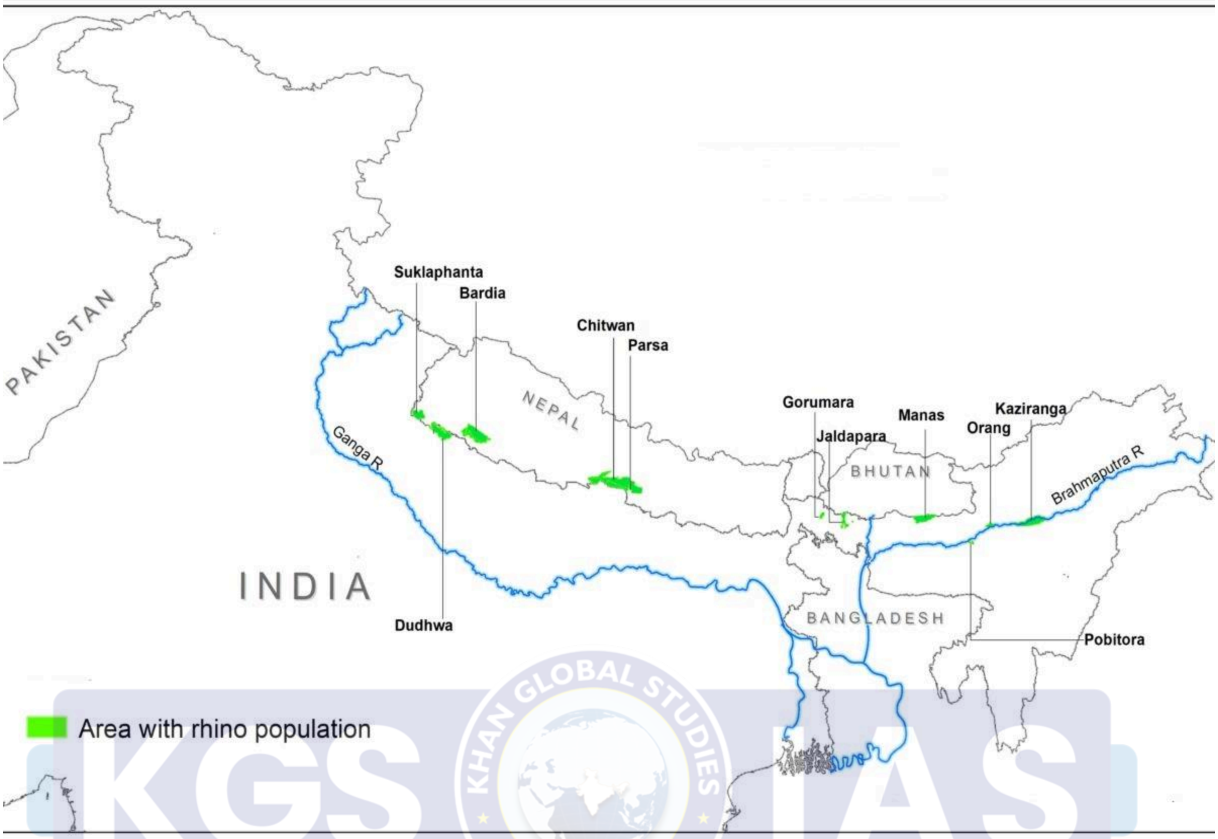

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES KHAN SIR

Figure: एक सींग वाले गैंडों का आवास

3.3. इंडियन राइनो विजन 2020 (IRV2020)

3.3.1. IRV2020 की शुरुआत

- इसे 2005 में लॉन्च किया गया था और अप्रैल 2021 में बंद कर दिया गया।

3.3.2. IRV2020 का उद्देश्य

- IRV2020 का मुख्य उद्देश्य वर्ष 2020 तक अपने 7 संरक्षित क्षेत्रों (PAs) में वितरित असम में 3000 जंगली गैंडों की आबादी हासिल करना था।
- सात संरक्षित क्षेत्र काजीरंगा, पोबितोरा, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, लाओखोवा वन्यजीव अभयारण्य, बुराचापोरी वन्यजीव अभयारण्य और डिब्रू सैखोवा वन्यजीव अभयारण्य हैं।

- वन्य-से-वन्य अनुवादन IRV2020 का एक अनिवार्य हिस्सा था, इसके तहत काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जैसे घनी आबादी वाले पार्कों से गैंडों को हटा कर, मानस नेशनल पार्क जैसे गैंडों की जरूरत वाले स्थान पर करना था।

3.3.3. IRV2020 का कार्यान्वयन

- IRV2020 को असम सरकार के पर्यावरण और वन विभाग द्वारा लागू किया गया था।
- बोडो स्वायत्त परिषद कार्यक्रम में एक सक्रिय भागीदार थी।
- कार्यक्रम को WWF-इंडिया, WWF AREAS (एशियन राइनो एंड एलिफेंट्स एक्शन स्ट्रैटेजी) प्रोग्राम, द इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन (IRF), सेव द राइनो कैंपेन ऑफ जूलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस वर्ल्डवाइड और कई स्थानीय गैर सरकारी संगठनों द्वारा समर्थित किया गया था।

3.3.4. IRV2020 का प्रदर्शन

- 13 अप्रैल 2021 को पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य से असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान में दो गैंडों को स्थानांतरित करने के बाद यह समाप्त हो गया। यह IRV2020 के तहत गैंडों के स्थानांतरण का आठवां दौर था।
- इसके साथ, IRV2020 को असम में 3,000 गैंडों की आबादी हासिल करने के अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए माना जाता है।
- हालाँकि, पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य, ओरंग और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यानों से परे चार संरक्षित क्षेत्रों में गैंडों की आबादी को फैलाने की योजना को पूरा नहीं किया गया था।

3.4. संख्या और वितरण

- अवैध शिकार के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई, आवास निर्माण के संयोजन के साथ, एक सींग वाले गैंडों की आबादी को **4,014 तक** बढ़ाने में मदद मिली है।
- स्टेट ऑफ राइनो रिपोर्ट 2022 के अनुसार, 2018 में रिपोर्ट की गई टैली की तुलना में एक सींग वाले गैंडों की संख्या 2022 में 426 अधिक है।
- एक दशक पहले एक सींग वाले गैंडों की आबादी 2,454 थी।
- काजीरंगा ने अकेले 2018 में दर्ज संख्या की तुलना में 200 अधिक गैंडों की सूचना दी।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

- भारत और नेपाल की सरकारों द्वारा अवैध शिकार को रोकने के साथ-साथ गैंडों के लिए आवास बनाने के कारण जनसंख्या काफी हद तक बढ़ रही है।
- असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रजातियों (2,613) के लिए सबसे बड़ा निवास स्थान है, इसके बाद
    - पश्चिम बंगाल में जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान (287),
    - असम में ओरंग राष्ट्रीय उद्यान (125),
    - पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य (107),
    - पश्चिम बंगाल में गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान (52),
    - असम में मानस राष्ट्रीय उद्यान (40) और
    - उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान (38)।

4. भारत में हाथी संरक्षण

KGS KHAN GLOBAL STUDIES IAS Most Trusted Platform KHAN SIR

4.1. एशियाई हाथी

- एशियाई हाथी (*एलिफस मैक्सिमस*) भारत का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनपायी है।
- ऐसा माना जाता था कि भूतकाल में वे व्यापक रूप से वितरित थे - पश्चिम एशिया में टाइग्रिस - यूफ्रेट्स से पूर्व में फारस के माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में श्रीलंका, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो और उत्तरी चीन तक।
- हालाँकि, वर्तमान में वे भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पूर्व एशिया और कुछ एशियाई द्वीपों - श्रीलंका, इंडोनेशिया और मलेशिया तक ही सीमित हैं।
- सभी वन्य एशियाई हाथियों में से आधे से अधिक भारत में पाए जाते हैं।
- उन्हें 1986 से IUCN रेड लिस्ट में **संकटग्रस्त** (Endangered) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

हाथियों के बारे में कुछ तथ्य

- हाथी परिवारों में एक मातृसत्तात्मक मुखिया होती है, जिसका अर्थ है कि एक वृद्ध, अनुभवी हथिनी झुंड का नेतृत्व करती है।

- एक परिवार में आमतौर पर एक माँ, उसकी बहनें, बेटियाँ और उनके बच्चे (बछड़े) होते हैं।
- महिला परिवार इकाइयाँ तीन से पच्चीस हाथियों तक होती हैं।
- हथिनी एक दूसरे के बछड़ों की देखभाल में मदद करती हैं। अन्य मादा के बछड़ों की देखभाल करना हाथी के विकास के लिए महत्वपूर्ण है; युवा मादाएं सीखती हैं कि बच्चों की देखभाल कैसे की जाती है, और बछड़ों को दिखाया जाता है कि यह कैसे किया जाता है।
- वे दोस्तों और परिवार के सदस्यों के बीच मजबूत, अंतरंग बंधन विकसित करने के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा वे सभी स्तनधारियों में सबसे लंबी गर्भावस्था अवधि के लिए जाने जाते है, जो 680 दिन (22 महीने) तक चलती है।
- 14 से 45 वर्ष के बीच की हथिनी लगभग हर चार साल में बछड़ों को जन्म दे सकती हैं, औसत अंतर-जन्म अंतराल 52 वर्ष की आयु तक पाँच वर्ष और 60 वर्ष की आयु तक छह वर्ष तक बढ़ जाता है।

4.1.1. भारत में हाथियों का आवास

- हाथी एक विस्तृत श्रृंखला वाला जानवर है इस कारण से इसे बड़े क्षेत्रों की आवश्यकता होती है।
- हाथियों के लिए भोजन और पानी की आवश्यकता बहुत अधिक होती है और इसलिए उनकी आबादी को केवल वनों द्वारा समर्थित किया जा सकता है जो इष्टतम परिस्थितियों में हैं।
- हाथियों की स्थिति जंगलों की स्थिति का सबसे अच्छा संकेतक हो सकती है।
- भारत में जंगली हाथियों का वर्तमान वितरण दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व सहित उत्तर पश्चिम बंगाल, मध्य भारतीय राज्य उड़ीसा, दक्षिण पश्चिम बंगाल और झारखंड, और उत्तर पश्चिम भारत उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश तक ही सीमित है।

4.1.2. संरक्षण के मुद्दे

एशियाई हाथियों के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं:

- पर्यावास हानि, विखंडन, और गिरावट;
- अवैध हत्या (उदाहरण के लिए उनके हाथी दांत और अन्य उत्पादों के लिए या मानव-हाथी संघर्ष के प्रतिशोध में); और

- छोटे जनसंख्या आकार और अलगाव के परिणामस्वरूप अनुवांशिक व्यवहार्यता का नुकसान।

मानव-हाथी संघर्ष

- तमिलनाडु, असम, केरल, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल आदि में मानव-हाथी संघर्ष तेजी से बढ़ रहा है, जिसका कारण है:
    - आवास की गिरावट और विखंडन,
    - गलियारों की रुकावट,
    - अवैध कटाई,
    - जंगलों के भीतर परिक्षेत्र,
    - चाय/कॉफी बागानों के भीतर गलियारों पर श्रमिक कॉलोनियां, अतिक्रमण, तीर्थयात्रियों की आवाजाही आदि।
- मानव-पशु संघर्ष के कारण देश में हर साल कम से कम 100 हाथियों और 400 इंसानों की मौत हो रही है।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

4.2. प्रोजेक्ट एलीफेंट

4.2.1. प्रोजेक्ट एलीफेंट की शुरुआत

- प्रोजेक्ट एलीफेंट को भारत सरकार द्वारा वर्ष **1992 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में** शुरू किया गया था।

4.2.2. प्रोजेक्ट एलीफेंट का उद्देश्य

- हाथियों, उनके आवास और गलियारों की रक्षा के लिए।
- मानव-पशु संघर्ष के मुद्दों को हल करने के लिए।
- पालतू हाथियों का कल्याण।

4.2.3. प्रोजेक्ट एलीफेंट का कार्यान्वयन

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय प्रोजेक्ट एलीफेंट के माध्यम से देश के प्रमुख हाथी रेंज वाले राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

- प्रोजेक्ट एलीफेंट मुख्य रूप से 16 राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

4.2.4. प्रोजेक्ट एलीफेंट के तहत मुख्य गतिविधियां

- मौजूदा प्राकृतिक आवासों और हाथियों के प्रवासी मार्गों की पारिस्थितिक बहाली;
- भारत में हाथियों के आवासों और जंगली एशियाई हाथियों की व्यवहार्य आबादी के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक और नियोजित प्रबंधन का विकास;
- महत्वपूर्ण आवासों में मानव हाथी संघर्ष के शमन के उपायों को बढ़ावा देना और महत्वपूर्ण हाथी आवासों में मानव और घरेलू स्टॉक गतिविधियों के दबाव को कम करना;
- शिकारियों और मौत के अप्राकृतिक कारणों से जंगली हाथियों की सुरक्षा के उपायों को मजबूत करना;
- हाथी प्रबंधन संबंधी मुद्दों पर अनुसंधान;
- सार्वजनिक शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम;
- पर्यावरण-विकास और पशु चिकित्सा देखभाल।

4.3. हाथियों की अवैध हत्या का निगरानी कार्यक्रम (Monitoring the Illegal Killing of Elephants – MIKE)

4.3.1. MIKE कार्यक्रम की शुरुआत

- CITES के COP (पार्टियों के सम्मेलन) संकल्प द्वारा अनिवार्य, MIKE कार्यक्रम वर्ष 2003 में दक्षिण एशिया में शुरू हुआ।

4.3.2. MIKE कार्यक्रम के उद्देश्य

- हाथियों के अवैध शिकार के स्तरों और प्रवृत्तियों को मापने के लिए;
- समय के साथ इन प्रवृत्तियों में परिवर्तन निर्धारित करने के लिए; और

- इस तरह के परिवर्तनों के कारण या उससे जुड़े कारकों को निर्धारित करने के लिए, और पार्टियों के सम्मेलन द्वारा CITES के लिए किए गए किसी भी निर्णय के परिणाम के लिए विशेष रूप से किस हद तक देखे गए रुझान का प्रयास और आकलन करना है।

4.3.3. MIKE कार्यक्रम का कार्यान्वयन

- प्रोजेक्ट एलिफेंट 2004 से औपचारिक रूप से 10 हाथी रिजर्व में MIKE प्रोग्राम को लागू कर रहा है।
- कार्यक्रम के तहत, सभी स्थानों से डेटा मासिक आधार पर निर्दिष्ट MIKE पहरा (patrol) फॉर्म में एकत्र किया जा रहा है और दिल्ली में स्थित दक्षिण एशिया कार्यक्रम के लिए उप क्षेत्रीय सहायता कार्यालय को प्रस्तुत किया जा रहा है जो कार्यक्रम के कार्यान्वयन में मंत्रालय की सहायता कर रहे हैं।

4.3.4. भारत में MIKE स्थान

- चिरांग-रिपु हाथी रिजर्व (असम)
- देवमाली हाथी रिजर्व (अरुणाचल प्रदेश)
- दिहिंग पटकाई हाथी रिजर्व (असम)
- गारो हिल्स हाथी रिजर्व (मेघालय)
- पूर्वी डुआर्स हाथी रिजर्व (पश्चिम बंगाल)
- मयूरभंज हाथी रिजर्व (ओडिशा)
- शिवालिक हाथी रिजर्व (उत्तराखंड)
- मैसूर हाथी रिजर्व (कर्नाटक)
- नीलगिरि हाथी रिजर्व (तमिलनाडु)
- वायनाड हाथी रिजर्व (केरल)

भारत में हाथी रिजर्व (ER) की सूची

क्र.सं.	हाथी रिजर्व	राज्य	अधिसूचना की तिथि	कुल क्षेत्रफल (वर्ग किमी)
1	रायला ER	आंध्र प्रदेश	09.12.2003	766
2	कामेंग ER	अरुणाचल प्रदेश	19.06.2002	1892

3	दक्षिण अरुणाचल ER	अरुणाचल प्रदेश	29.02.2008	1957.50
4	सोनितपुर ER	असम	06.03.2003	1420
5	दिहिंग-पटकाई ER	असम	17.04.2003	937
6	काजीरंगा-कार्बी आंगलोंग ER	असम	17.04.2003	3270
7	धनसिरी-लुंगडिंग ER	असम	19.04.2003	2740
8	चिरांग-रिपु ER	असम	07.03.2003	2600
9	बादलखोल-तमोरपिंगला	छत्तीसगढ	15.09.2011	1048.30
10	लेमरू ER	छत्तीसगढ	2022	450
11	सिंहभूम ER	झारखंड	26.09.2001	4530
12	मैसूर ER	कर्नाटक	25.11.2002	6724
13	डंडेली ER	कर्नाटक	26.03.2015	2,321
14	वायनाड ER	केरल	02.04.2002	1200
15	नीलांबुर ER	केरल	02.04.2002	1419
16	अनामुदी ER	केरल	02.04.2002	3728
17	पेरियार	केरल	02.04.2002	3742
18	गारो हिल्स ER	मेघालय	31.10.2001	3,500
19	इंटंकी ER	नगालैंड	28.02.2005	202
20	सिंहफन ER	नगालैंड	16.08.2018	23.57
21	मयूरभंज ER	ओडिशा	29.09.2001	3214
22	महानदी ER	ओडिशा	20.07.2002	1038
23	संबलपुर ER	ओडिशा	27.03.2002	427
24	नीलगिरी ER	तमिलनाडु	19.09.2003	4663
25	कोयम्बटूर ER	तमिलनाडु	19.09.2003	566
26	अन्नामलाई ER	तमिलनाडु	19.09.2003	1457
27	श्रीविल्लीपुत्तूर ER	तमिलनाडु	19.09.2003	1249
28	अगस्त्यमलाई ER	तमिलनाडु	12.08.2022	1,197.48
29	उत्तर प्रदेश ER	उतार प्रदेश	09.09.2009	744
30	तराई ER	उतार प्रदेश	2022	3049
31	शिवालिक ER	उत्तराखंड	28.10.2002	5405
32	मयूरझरना ER	पश्चिम बंगाल	24.10.2002	414

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES KHAN SIR

33	पूर्वी डुआर्स ER	पश्चिम बंगाल	28.8.2002	978

4.4. हाथियों की गणना

- सबसे हालिया हाथी गणना में **29,964 हाथियों की संख्या** दर्ज की गई थी, जो 2017 में आयोजित की गई थी।
- हाथियों की गणना प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार की जाती है।
- हाथियों की जनगणना 2017 के अनुसार, **कर्नाटक में** हाथियों की **सबसे अधिक** संख्या (6,049) है, इसके बाद क्रमशः असम (5,719) और केरल (3,054) हैं।
- जहां तक क्षेत्रों का संबंध है, सबसे अधिक जनसंख्या दक्षिणी क्षेत्र (11,960) में थी, इसके बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र (10,139), पूर्व-मध्य क्षेत्र (3,128) और उत्तरी क्षेत्र (2,085) का स्थान था।
- भारतीय विज्ञान संस्थान (बेंगलुरु) में एशियाई प्रकृति संरक्षण फाउंडेशन (Asian Nature Conservation Foundation-ANCF), कई गैर सरकारी संगठनों और स्वतंत्र संरक्षणवादियों ने इस अभ्यास में परियोजना हाथी निदेशालय और 23 राज्यों के वन विभागों की सहायता की।
- हाथियों की रक्षा के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान, "गज यात्रा", जिसे 12 हाथी रेंज राज्यों को कवर करना था, को हाथी जनगणना की प्रस्तुति के दौरान लॉन्च किया गया था।
- 2017 की जनगणना सूचकांक संकेत देते हैं कि हाथियों की आबादी जन्म दर सहित बढ़ रही है और यहां तक कि उनकी भौगोलिक सीमा भी बढ़ गई है।
- हालाँकि, यह 1990 के दशक के बाद से हाथियों की आबादी में मामूली वृद्धि दर्शाता है।
- पर्यावास विखंडन के कारण, हाथी कृषि परिदृश्यों की ओर जा रहे हैं, जिससे मानव-हाथी संघर्ष में वृद्धि हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप फसल क्षति और हाथियों के जीवन की हानि दोनों हो रही है।

4.5. हाथियों के संरक्षण के लिए अन्य पहल

4.5.1. भारत के राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में हाथी

KGS IAS

- हाथी को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की सिफारिशों के बाद 2010 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया है।

4.5.2. हाथी मेरे साथी

- इसे 24 मई 2011 को दिल्ली में आयोजित हाथी- 8 मंत्रिस्तरीय बैठक में लॉन्च किया गया था।
- अभियान का उद्देश्य भारत में हाथियों के संरक्षण, रक्षण और कल्याण में सुधार करना है।
- यह भारत के वन्यजीव ट्रस्ट के सहयोग से पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था।

4.5.3. अभियान शुभंकर गाजू (Campaign Mascot Gaju)

- यह विभिन्न समूहों पर ध्यान केंद्रित करता है जिसमें हाथियों के आवास के पास स्थानीय लोग, युवा, नीति निर्माता और अन्य शामिल हैं।
- यह योजना पूरे देश में हाथी परिदृश्य में हाथी केंद्र स्थापित करने की कल्पना करती है।

4.5.4. हाथी टास्क फोर्स

- भारत में हाथी संरक्षण नीति का मूल्यांकन करने और भविष्य की कार्रवाई को विकसित करने के लिए इतिहासकार महेश रंगराजन के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा 2010 में इसकी स्थापना की गई थी।

4.5.5. गज गौरव पुरस्कार

- यह जंगल और कैद में हाथियों के संरक्षण के लिए जमीनी स्तर पर काम करने वाले स्थानीय समुदायों, फ्रंटलाइन कर्मचारियों और महावतों के सराहनीय प्रयासों के लिए दिया जाता है।

4.5.6. गज उत्सव 2023

- 7 अप्रैल, 2023 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव-2023 का उद्घाटन किया गया।
- दो दिवसीय कार्यक्रम ने प्रोजेक्ट एलिफेंट की 30वीं वर्षगांठ मनाई और इसका उद्देश्य हाथियों और उनके आवासों के संरक्षण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना, मानव-हाथी संघर्ष को कम करना और बंदी हाथियों के कल्याण को सुनिश्चित करना था।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

4.6. भारत में हाथी गलियारे

4.6.1. हाथी गलियारा (एलीफेंट कॉरिडोर) क्या है?

- एलीफेंट कॉरिडोर वनों की भूमि की संकरी पट्टी है जो हाथियों के बड़े आवासों को महत्वपूर्ण हाथियों की आबादी से जोड़ती है।
- यह हाथियों के आवास के बीच हाथियों की आवाजाही के लिए एक वाहक नलिका के रूप में कार्य करता है।
- जंगल में हाथियों की आबादी की प्रजातियों के अस्तित्व और जन्म दर को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है।

4.6.2. भारत में हाथी गलियारों की संख्या

- भारत में लगभग 88 हाथी गलियारे हैं, जिनमें से 20 दक्षिण भारत में, 12 उत्तर पश्चिमी भारत में, 14 उत्तर पश्चिम बंगाल में, 20 मध्य भारत में और 22 उत्तर पूर्वी भारत में हैं।
- इन गलियारों का लगभग 77.3% हाथियों द्वारा नियमित रूप से उपयोग किया जाता है और इन गलियारों में से एक तिहाई उच्च पारिस्थितिक प्राथमिकता वाले हैं।

KGS IAS KHAN SIR

4.6.3. हाथी गलियारों के लिए प्रमुख खतरे

- हाथी आवास का नुकसान जो विकासात्मक गतिविधियों जैसे सड़कों, रेलवे, भवनों, हॉलिडे रिसॉर्ट्स और बिजली की बाड़ आदि के निर्माण के कारण होता है।
- कोयला खनन और लौह अयस्क खनन जैसी खनन गतिविधियों को मध्य भारत में हाथी गलियारों के लिए सबसे बड़े खतरों के रूप में वर्णित किया गया है।
- चरागाहों की कमी के कारण अधिकांश हाथी भंडार सभी हाथियों को समायोजित करने में असमर्थ हैं, जिसके परिणामस्वरूप हाथियों द्वारा फसलों को नष्ट करने के कारण मानव-हाथी संघर्ष होता है।

4.6.4. शमन रणनीतियाँ

- हाथियों के गलियारों को पास के संरक्षित क्षेत्रों और जहां भी संभव हो आरक्षित वन के साथ जोड़ना।
- हाथी गलियारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों या संरक्षण भंडारों की घोषणा की आवश्यकता है।
- हाथी गलियारों को सुरक्षित करने के लिए संघर्ष क्षेत्रों के बाहर स्वैच्छिक पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता पैदा करने और स्थानीय आबादी को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता होगी।
- आवश्यकता के अनुसार आवास बहाली के साथ-साथ जानवरों की आवाजाही पर नजर रखने की भी आवश्यकता है।

5. भारत में घड़ियाल संरक्षण

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

5.1. घड़ियाल

- घड़ियाल (*गैवियलिस गैंगेटिकस*) विकासशील रूप से दुनिया का सबसे अनोखा मगरमच्छ है, गहरी तेज बहने वाली नदियों में रहते है और मछली खाते है, लेकिन मनुष्यों के लिए हानिरहित है।
- नासिका के ठीक ऊपर परिपक्व पुरुषों के थूथन की नोक पर बल्बनुमा 'घड़ा' जानवर की उपस्थिति और प्रभुत्व का विज्ञापन करने के लिए सूंघने की फुफकार पैदा करने में मदद करता है।
- घड़ियाल मार्च और मई के बीच घोंसला बनाते हैं। महिला घड़ियाल रेत के किनारों में अंडे के कक्षों की खुदाई करती हैं, जिसमें औसतन 60 अंडे जमा होते हैं, जिसमे से 90 दिनों में बच्चे निकलते हैं।

5.1.1. प्राकृतिक आवास

- घड़ियाल भारतीय उपमहाद्वीप के लिए स्थानिक हैं।
- कभी दक्षिण एशिया की सभी प्रमुख नदी प्रणालियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला घड़ियाल अब पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा और भूटान में विलुप्त हो गया है।

- नेपाल में केवल अवशेष प्रजनन आबादी है।
- भारत में भी, प्रमुख प्रजनन आबादी केवल दो नदियों, गिरवा और चंबल तक ही सीमित है।
- घड़ियाल को IUCN रेड लिस्ट में **'गंभीर रूप से संकटग्रस्त'** (Critically Endangered) के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
- भारत सरकार ने घड़ियाल को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की अनुसूची । के तहत लाकर उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान की है।
- **नोट:** ओडिशा का केंद्रपाड़ा 29 अगस्त, 2021 को देश में पाए जाने वाले मगरमच्छों की तीनों प्रजातियों का घर होने वाला भारत का एकमात्र जिला बन गया।

5.1.2. संरक्षण के मुद्दे

- **पर्यावास परिवर्तन और विनाश:** भूमि-उपयोग परिवर्तन और शोषण का एक संयोजन जैसे कि रेत-खनन, नदी के किनारे की कृषि, पशुधन चराई, और हाइड्रोलॉजिकल संशोधन जैसे पानी के मोड़ के लिए बांधों का निर्माण।
- **शिकार की कमी:** मछलियों के स्टॉक का अधिक संग्रहण। बांधों और बैराजों का निर्माण मछली के फैलाव और प्रवास को बाधित करता है।
- **प्रत्यक्ष मृत्यु दर:** मछली पकड़ने के जाल में घड़ियाल का डूबना। इसका घोंसला विनाश और स्थानीय अंडा-संग्रह।
- **प्रदूषण और गाद:** नदियों का प्रदूषण और गाद मछलियों के भंडार को नुकसान पहुंचाता है, और 2007-2008 में चंबल में विनाशकारी मौत का प्रत्यक्ष कारण भी माना जाता है।
- **शिकार:** अतीत में, घड़ियाल का शिकार त्वचा, ट्राफियों और स्वदेशी चिकित्सा में उपयोग के लिए किया जाता था।

5.2. मगरमच्छ संरक्षण परियोजना

5.2.1. मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरूआत

- मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1975 में विभिन्न राज्यों में स्थापित की गई थी।

- घड़ियाल और खारे पानी के मगरमच्छ संरक्षण कार्यक्रम को ओडिशा में 1975 की शुरुआत में शुरू किया गया था, जिसके बाद मगर संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया था।

5.2.2. मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के उद्देश्य

- अभ्यारण्य बनाकर मगरमच्छों की शेष आबादी को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करना।
- 'ग्रो एंड रिलीज' या 'रियर एंड रिलीज' तकनीक के जरिए प्राकृतिक आबादी का तेजी से पुनर्निर्माण करना।
- बंदी प्रजनन को बढ़ावा देना।
- प्रबंधन में सुधार के लिए अनुसंधान करना।
- परियोजना की बेहतर निरंतरता के लिए कर्मियों के कौशल का निर्माण करना।
- परियोजना में व्यक्तिगत स्तर पर समुदाय को शामिल करना।

5.2.3. मगरमच्छ संरक्षण परियोजना का प्रशासन

- इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, क्रमशः टिकरपाड़ा, दंगमल और रामतीर्थ में घड़ियाल, खारे पानी के मगरमच्छ और मगर के लिए तीन अलग-अलग अनुसंधान इकाइयां स्थापित की गईं।
- नंदनकानन जैविक उद्यान में सभी तीन प्रजातियों के लिए बंदी प्रजनन योजना का अनुसरण किया गया।
- 1980 में, हैदराबाद में एक मगरमच्छ प्रजनन और प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी।

5.2.4. मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की उपलब्धियां

- सभी तीन मगरमच्छ प्रजातियों (मगर, खारे पानी के मगरमच्छ और घड़ियाल) को विलुप्त होने से बचाया गया है, और उनके कई निवास राज्य के संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में जोड़े गए हैं।
- कम समय में बड़ी संख्या में मगरमच्छ पैदा करने के अलावा, मगरमच्छ परियोजना ने वन्यजीव संरक्षण, अनुसंधान और प्रशिक्षण के समग्र दृष्टिकोण में कई योगदान दिए हैं।
- कुछ महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि अभयारण्यों में मगरमच्छों को प्रमुख प्रजातियों के रूप में इस्तेमाल किया गया है।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
KHAN SIR

- अन्य आर्द्रभूमि प्रजातियों को मगरमच्छों के साथ सक्रिय रूप से प्रबंधित किया गया।

5.3. अन्य संरक्षण प्रयास

5.3.1. प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम (Species Recovery Programme)

- WWF-इंडिया दिसंबर 2007 में राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल संकट के बाद से प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम में शामिल रहा है।
- उत्तर प्रदेश वन विभाग के सहयोग से, WWF-इंडिया ने हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य में एक घड़ियाल पुनरुत्पादन कार्यक्रम शुरू किया।
- जनवरी 2009 से अब तक कुकरैल पुनर्वास केंद्र (लखनऊ) से 250 बंदी पाले गए घड़ियाल गंगा नदी में छोड़े गए हैं।
- टोक्यो विश्वविद्यालय, जापान के सहयोग से, WWF-इंडिया ने पानी के नीचे के व्यवहार और मुक्त श्रेणी के घड़ियाल के आसपास के आवास को समझने के लिए घड़ियाल बायो-लॉगिंग (Bio-logging) विज्ञान पर एक अध्ययन शुरू किया है।

KGS IAS KHAN GS RESEARCH CENTRE Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

5.3.2. आगे और क्या किया जा सकता है?

- नदियों को पुनर्जीवित और जीर्णोद्धार करना।
- स्थानीय समुदायों को सभी संरक्षण पहलों का सह-लाभार्थी बनाएं।
- राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य और अन्य घड़ियाल रेंज क्षेत्रों को तीन राज्यों, यानी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान द्वारा समन्वित योजना और कार्रवाई के माध्यम से सुरक्षित करना।
- पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील नदियों को जोड़ने वाली योजनाओं और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का पुनर्मूल्यांकन करना।
- ठोस वैज्ञानिक अध्ययन और घड़ियाल की निगरानी पर आधार संरक्षण योजना।

5.4. घड़ियाल की स्थिति

- 2021 की गणना के अनुसार, चंबल नदी में **886 मगर और 2176 घड़ियाल** रहते हैं।

- चंबल के घड़ियाल संभवतः एकमात्र जंगली आबादी हैं जो एक बड़े, नदी के किनारे के निवास स्थान में रहते हैं और पनपते हैं, जहाँ परिस्थितियाँ अभी भी अनुकूल हैं।
- चंबल में, हर साल करीब 200-300 घोंसलों का उत्पादन होता है, जिसके परिणामस्वरूप सालाना लगभग 8,000 बच्चे पैदा होते हैं। हालांकि उनके जीवित रहने की दर सिर्फ 2-3% है।
- राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य (जिसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य भी कहा जाता है) राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की त्रिसीमा पर स्थित है और तीन राज्यों द्वारा सह-प्रशासित है।
- चंबल नदी को 1978 में घड़ियाल और अन्य वन्यजीवों के संरक्षण के लिए पूरी तरह से संरक्षित आवास प्रदान करने के लिए एक अभयारण्य घोषित किया गया था।
- अभयारण्य के अंदर नदी की कुल लंबाई लगभग 600 किमी है।

6. भारत में डॉल्फिन संरक्षण

KGS KHAN GLOBAL STUDIES IAS KHAN SIR

6.1. गंगा नदी डॉल्फिन

- गंगा नदी डॉल्फिन (*प्लैटनिस्टा गैंगेटिका गैंगेटिका*) और सिंधु नदी डॉल्फिन (*प्लैटनिस्टा माइनर माइनर*) मीठे पानी या नदी डॉल्फ़िन की दो उप-प्रजातियाँ हैं जो बांग्लादेश, भारत, नेपाल और पाकिस्तान में पाई जाती हैं।
- गंगा नदी डॉल्फिन आधिकारिक तौर पर 1801 में खोजी गई थी।
- गंगा नदी डॉल्फ़िन केवल मीठे पानी में रह सकती हैं और अनिवार्य रूप से अंधी होती हैं।
- वे अल्ट्रासोनिक ध्वनियों का उत्सर्जन करके शिकार करते हैं, जो मछली और अन्य शिकार से उछलते हैं, जिससे वे अपने दिमाग में एक छवि "देख" सकते हैं।
- वे अक्सर अकेले या छोटे समूहों में पाए जाते हैं, और आम तौर पर एक मां और बछड़ा एक साथ यात्रा करते हैं।
- गंगा नदी डॉल्फिन को भारत सरकार ने अपने राष्ट्रीय जलीय पशु के रूप में मान्यता दी है।
    - यह निर्णय **5 अक्टूबर, 2009** को तत्कालीन प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA) की पहली बैठक में लिया गया था।

  - 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय गंगा नदी डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है।

6.1.1. प्राकृतिक आवास

- भारत में गंगा नदी डॉल्फ़िन की वितरण सीमा में सात राज्य शामिल हैं, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल।
- गंगा नदी डॉल्फिन मुख्य रूप से भारत, बांग्लादेश और नेपाल में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों और उनकी सहायक नदियों में पाई जाती है, जबकि सिंधु नदी डॉल्फिन पाकिस्तान में सिंधु नदी और उसकी ब्यास और सतलज सहायक नदियों में पाई जाती है।

6.1.2. संरक्षण के मुद्दे

बायकैच

- गंगा नदी डॉल्फ़िन का निवास स्थान दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है।
- गंगा नदी डॉल्फ़िन और लोग दोनों नदी के उन क्षेत्रों को पसंद करते हैं जहाँ मछलियाँ बहुतायत में होती हैं और पानी का प्रवाह धीमा होता है। इस परिस्थिति में लोगो और डॉल्फ़िन के लिए कम मछलियाँ रह जाती हैं।
- अधिक डॉल्फ़िन मछली पकड़ने के जाल में गलती से फंसने के कारण मर रही हैं, जिसे बायकैच भी कहा जाता है।

शिकार करना

- गंगा नदी डॉल्फिन का अभी भी मांस और तेल के लिए शिकार किया जाता है, जो दोनों औषधीय रूप से उपयोग किए जाते हैं। शुद्ध मत्स्य पालन में कैटफ़िश को आकर्षित करने के लिए भी तेल का उपयोग किया जाता है।

प्रदूषण

- औद्योगिक, कृषि और मानव प्रदूषण आवास क्षरण का एक और गंभीर कारण है। नदी के आसपास हर साल 9,000 टन कीटनाशक और 6 मिलियन टन उर्वरक का उपयोग किया जाता है।
- प्रदूषण का उच्च स्तर सीधे शिकार की प्रजातियों (prey species) और डॉल्फ़िन को मार सकता है, और उनके निवास स्थान को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है।

- शीर्ष शिकारी के रूप में, नदी डॉल्फ़िन को उनके शरीर में लगातार जहरीले रसायनों के उच्च स्तर के लिए जाना जाता है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

आधारभूत संरचना

- 50 से अधिक बांधों और अन्य सिंचाई संबंधी परियोजनाओं के निर्माण के कारण गंगा नदी डॉल्फ़िन अलग-अलग समूहों में विभाजित हैं।
- बांध के ऊपर फंसे डॉल्फ़िन विशेष रूप से शुष्क गर्मी के महीनों के दौरान अवैध शिकार के संपर्क में आने के खतरे में होते हैं।
- बांध के नीचे डाल्फिन भारी प्रदूषण, मछली पकड़ने की गतिविधियों में वृद्धि और पोत यातायात से खतरे में हैं।
- उनके पास भोजन भी कम होता है क्योंकि बांध प्रवासन, प्रजनन चक्र और मछली और अन्य शिकार के आवास को बाधित करते हैं।

6.2. संरक्षण के प्रयास

KGS KHAN GLOBAL STUDIES IAS

- WWF इंडिया ने गंगा नदी डॉल्फिन के आवास को संरक्षित करने और लुप्तप्राय प्रजातियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए डॉल्फिन संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया है।
- विक्रमशिला जैव विविधता अनुसंधान और शिक्षा केंद्र (VBREC), व्हेल और डॉल्फिन संरक्षण सोसायटी (WDCS) के साथ, पटना विश्वविद्यालय की पर्यावरण जीवविज्ञान प्रयोगशाला, और T.M. भागलपुर विश्वविद्यालय ने विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य के संरक्षण मूल्य में सुधार के लिए एक परियोजना शुरू की है।
- 'आरण्यक', उत्तर पूर्व भारत में काम कर रहे एक पंजीकृत संरक्षण गैर सरकारी संगठन ने, 1989 से डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय (असम) के सहयोग से "ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली, भारत में गंगा डॉल्फिन का संरक्षण" (Conservation of Gangetic dolphin in Brahmaputra river system, India) नामक एक परियोजना शुरू की है।
    - परियोजना का उद्देश्य संपूर्ण ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली में गंगा नदी डॉल्फ़िन की संरक्षण स्थिति का मूल्यांकन करना है।

- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (National Mission for Clean Ganga-NMCG) भी, जो सरकार की प्रमुख योजना नमामि गंगे को लागू करता है, डॉल्फ़िन को बचाने के लिए कुछ पहल कर रहा है।

6.3. प्रोजेक्ट डॉल्फिन

6.3.1. प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत

- प्रोजेक्ट डॉल्फिन को 2021 में लॉन्च किया गया था। इस परियोजना की घोषणा 15 अगस्त 2020 को 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान की गई थी।

6.3.2. प्रोजेक्ट डॉल्फिन का उद्देश्य

- इसका उद्देश्य मौजूदा संरक्षण चिंताओं को दूर करना और हितधारकों को डॉल्फ़िन के संरक्षण में भाग लेने के लिए सशक्त बनाना है।
- डॉल्फिन एक अंब्रेला प्रजाति के रूप में कार्य करती है, और इसका संरक्षण मनुष्यों सहित संबंधित आवास और जैव विविधता की भलाई में योगदान देगा।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

6.3.3. परियोजना डॉल्फिन का प्रशासन

- यह 10 साल का प्रोजेक्ट है और प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर होगा।
- यह परियोजना भारतीय वन्यजीव संस्थान के अधीन है और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है।
- इसमें संरक्षण कार्य योजना को विकसित करने और कार्यान्वित करने के लिए लक्षित प्रजातियों और उनके संभावित खतरों की व्यवस्थित स्थिति की निगरानी शामिल है।

6.3.4. गतिविधियाँ

2022 के दौरान परियोजना के तहत निम्नलिखित गतिविधियाँ शुरू की गई हैं:

- असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप सरकार ने डॉल्फ़िन हॉटस्पॉट की पहचान की है।

- प्रजाति संरक्षण और आवास सुधार; निगरानी और गश्त; डॉल्फिन संरक्षण के हिस्से के रूप में कर्मचारियों के लिए सुविधाएं और जागरूकता सृजन कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।
- प्रोजेक्ट डॉल्फिन के लिए एक व्यापक कार्य योजना (2022-2047) को अंतिम रूप दिया गया है और कार्रवाई शुरू करने के अनुरोध के साथ संबंधित मंत्रालयों के साथ साझा किया गया है। सभी तटीय राज्यों से अपने-अपने राज्य में डॉल्फ़िन की आबादी का अनुमान लगाने का अनुरोध किया गया है।

6.4. गंगा नदी डॉल्फिन की स्थिति

- IUCN की नवीनतम रेड लिस्ट असेसमेंट (जुलाई 2022 में प्रकाशित) द्वारा गंगा नदी डॉल्फ़िन को **'संकटग्रस्त'** (Endangered) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- नवीनतम मूल्यांकन का महत्व यह है कि यह पिछले एक दशक में गंगा नदी डॉल्फ़िन पर उत्पन्न सभी सूचनाओं की एक समेकित समीक्षा प्रदान करता है, जिसके दौरान इसकी सीमा के विभिन्न पहलुओं पर कई सर्वेक्षण और अध्ययन किए गए हैं।
- यह अनुमान है कि लगभग **5,000 वयस्क और किशोर डॉल्फ़िन** आज मौजूद हैं।
- इस आश्वस्त संख्या के बावजूद, कई मौजूदा और आसन्न खतरों के सामने समग्र प्रवृत्ति निरंतर और स्थिर गिरावट की हो सकती है।

7. भारत में गिद्ध संरक्षण

7.1. भारत में गिद्ध

- भारत में गिद्धों की नौ प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से पाँच जीनस जिप्स से संबंधित हैं और अन्य चार जेनेरा मोनोटाइपिक हैं।
- 1980 के दशक तक भारत में गिद्ध बहुत आम थे। इस अवधि के दौरान, देश में गिद्धों की तीन निवासी जिप्स प्रजातियों की आबादी 40 मिलियन तक अनुमानित थी।

- लेकिन पिछले कुछ दशकों में उनकी आबादी कम हो गई और इन गिद्धों में - सफेद पीठ गिद्ध, दीर्घचुंच गिद्ध और बेलनाचुंच गिद्ध - केवल एक दशक (1993-2003) में 96 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई है।

7.2. संरक्षण की आवश्यकता

- गिद्धों के संरक्षण की आवश्यकता इस तथ्य के लिए है कि ये अत्यधिक योग्य मुर्दाखोर लगभग 20 मिनट के अंदर वयस्क मवेशियों के शव को खत्म कर सकते हैं।
- गिद्ध किसी भी प्रभावी शव और बूचड़खाने के अपशिष्ट निपटान प्रणाली के अभाव में भारत में पर्यावरण को स्वच्छ रखते थे और इसके द्वारा शवों को सड़ने से पहले साफ करके महामारी के प्रकोप को रोकते थे।
- गिद्धों की आबादी के दुर्घटनाग्रस्त होने से महामारी में नाटकीय वृद्धि हो सकती है, क्योंकि शव और अपशिष्ट निपटान प्रणाली कमोबेश अपरिवर्तित बनी हुई है।
- इस तरह के महत्वपूर्ण मुर्दाखोर की अनुपस्थिति कहीं-कहीं पे निश्चित रूप से अन्य मुर्दाखोर प्रजातियों की संख्या और वितरण को प्रभावित करेगी, उदाहरण के लिए कुछ स्थानों में अगर गिद्धों की संख्या में कमी आई है, तो जंगली कुत्तों की आबादी बड़े पैमाने पे बढ़ी है।
- यह मनुष्यों और वन्यजीवों के लिए कई संबद्ध रोग जोखिम पैदा कर सकता है, जैसे रेबीज।
- गिद्धों को संभावित विलुप्त होने से बचाने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2006 में गिद्ध संरक्षण के लिए कार्य योजना (Action Plan for Vulture Conservation-APVC) जारी की थी।

भारत में पाए जाने वाले गिद्धों की IUCN स्थिति

1. **सफेद पीठ गिद्ध (*जिप्स बेंगालेनसिस*) - गंभीर रूप से संकटग्रस्त**
2. **बेलनाचुंच गिद्ध (*जिप्स टेन्यूरास्ट्रीस*) - गंभीर रूप से संकटग्रस्त**
3. **दीर्घचुंच गिद्ध (*जिप्स इंडिकस*) - गंभीर रूप से संकटग्रस्त**
4. **गोपर गिद्ध (*निओफ्रॉन पर्कनोप्टेरस*) - संकटग्रस्त**
5. **राज गिद्ध (*सरकोजिप्स कैल्वस*) - गंभीर रूप से संकटग्रस्त**

6. यूरेशियन पांडुर गिद्ध (*जिप्स फलवस*) - कम चिंता
7. पांडुर गिद्ध (*जिप्स हिमालयेन्सिस*) - निकट संकटग्रस्त
8. श्याम गिद्ध (*एजिपियस मोनैकस*) - निकट संकटग्रस्त
9. अरगुल गिद्ध (*जिपिटस बारबेटस*) - निकट संकटग्रस्त

7.3. संरक्षण के मुद्दे

- वर्षों के शोध के बाद, वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि उपमहाद्वीप में गिद्धों की अनुमानित आबादी का लगभग 95 प्रतिशत विनाश का कारण दर्द निवारक डिक्लोफेनाक (Diclofenac) है।
- डिक्लोफेनाक दर्द और सूजन के इलाज के लिए मवेशियों को दी जाने वाली एक गैर-स्टेरायडल एंटी-इंफ्लेमेटरी दवा है।
- डिक्लोफेनाक को गिद्ध नाशक के रूप में वैज्ञानिक पत्रिका 'नेचर' में जनवरी 2004 में प्रकाशित किया गया था।
- पशुओं के शवों को खाना जिन्हें दवा दी गई थी, इन पक्षियों के लिए घातक साबित हुआ।
- मंत्रालय ने बहु-आयामी रणनीति बनाकर इस खोज पर पहले ही सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है।
    - डिक्लोफेनाक के पशु चिकित्सा योगों पर प्रतिबंध,
    - दूषित शवों से गिद्धों के खतरे को खत्म करने के लिए दवा मेलोक्सिकैम को लोकप्रिय बनाना, और
    - प्रजनन केंद्र खोलना।
- अन्य खतरों में शामिल हैं
    - मानवजनित गतिविधियों के कारण प्राकृतिक आवासों का नुकसान।
    - भोजन की कमी और दूषित भोजन।
    - बिजली की लाइन से करंट लगना।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES KHAN SIR

7.4. संरक्षण के प्रयास

7.4.1. गिद्ध संरक्षण के लिए कार्य योजना 2020-2025 (Action Plan for Vulture Conservation 2020-2025 (APVC 2020-25))

- गिद्ध संरक्षण कार्य योजना 2006 इस योजना को अद्यतन करने का आधार था।
- यह प्रवासी प्रजातियों के अभिसमय (CMS) के अफ्रीकी-यूरेशियन गिद्धों के संरक्षण के लिए बहु-प्रजाति कार्य योजना (The Multi-Species Action Plan to Conserve African-Eurasian Vultures (Vulture MsAP)) जैसी अंतर्राष्ट्रीय योजनाओं से लाभान्वित होगा।

APVC 2020-25 की मुख्य विशेषताएं

- गिद्धों के प्रमुख भोजन की विषाक्तता को रोकना, जैसे की मवेशियों के शवों में पशु चिकित्सा NSAIDs (गैर-स्टेरायडल एंटी-इंफ्लेमेटरी दवाओं) का मिलना। यह सुनिश्चित करना कि पशु चिकित्सा NSAIDs की बिक्री को विनियमित किया जा रहा है और केवल निर्देश पर वितरित किया जा रहा है। यह भी सुनिश्चित करना कि पशुओं का उपचार केवल योग्य पशु चिकित्सकों द्वारा किया जा रहा है।
- गिद्धों पर पशु चिकित्सा NSAIDs के उपलब्ध अणुओं का सुरक्षा परीक्षण करना।
- भारत के औषधि महानियंत्रक (Drugs Controller General of India) को एक ऐसी प्रणाली स्थापित करनी चाहिए जो किसी दवा को गिद्धों के लिए जहरीली पाए जाने पर स्वचालित रूप से पशु चिकित्सा उपयोग से हटा दे।
    - इस तरह की प्रणाली यह सुनिश्चित करेगी कि डिक्लोफेनाक के अलावा अन्य दवाएं जो गिद्धों के लिए जहरीली हैं जैसे एसिक्लोफेनाक और केटोप्रोफेन पशु चिकित्सा उपयोग के लिए प्रतिबंधित हो जाए।
- उत्तर में पिंजौर, मध्य भारत में भोपाल, पूर्वोत्तर भारत में गुवाहाटी और दक्षिण भारत में हैदराबाद जैसे विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए चार बचाव केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं।
- देश में अतिरिक्त संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता है। जबकि इन केंद्रों का प्राथमिक फोकस गिद्धों का प्रजनन होगा, वे गिद्ध संरक्षण केंद्रों के रूप में भी काम कर सकते हैं।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

7.4.2. जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र (Jatayu Conservation Breeding Centre-JCBC)

- JCBC, जिसे पहले वल्चर केयर सेंटर (VCC) के रूप में जाना जाता था, की स्थापना सितंबर 2001 में यूनाइटेड किंगडम के डार्विन इनिशिएटिव फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज फंड के साथ की गई थी, ताकि गिद्धों की निवासी जिप्स प्रजातियों में नाटकीय गिरावट की जांच की जा सके।
- यह केंद्र बीर शिकारगाह वन्यजीव अभयारण्य के किनारे जोधपुर (हरियाणा) गांव में स्थित है।
- यह हरियाणा वन विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS) की एक संयुक्त परियोजना है।
- यह गिद्धों की तीन प्रजातियों, सफेद पीठ गिद्ध, दीर्घचुंच गिद्ध और बेलनाचुंच गिद्ध, को विलुप्त होने से बचाने के लिए एक सहयोगी पहल है।

7.4.3. दवाओं पर प्रतिबंध

- 31 जुलाई, 2023 को, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर दो दवाओं, केटोप्रोफेन और एसिक्लोफेनाक के उत्पादन और वितरण पर रोक लगा दी, क्योंकि इससे जानवरों को खतरा है और इनके सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं।
- ये दो दवाइयां तीन "गिद्ध-विषाक्त" दवाओं में से हैं जिन पर संरक्षणवादी प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं। तीसरी दवा है निमेसुलाइड। संरक्षणवादी सुरक्षित विकल्प के रूप में मेलॉक्सिकैम और टॉल्फ़ेनेमिक एसिड का सुझाव देते हैं।
- दो दवाओं पर प्रतिबंध लगाना एक बड़ा कदम है, लेकिन अनिवार्य रूप से सभी हानिकारक दवाओं पर एक साथ प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है।
- फैसले में निमेसुलाइड को बाहर कर दिया गया और दूसरी दवा फ्लुनिक्सिन को मांग में शामिल नहीं किया गया है।

7.4.4. गिद्ध रेस्तरां

- हाल ही में (जनवरी, 2024), पशुधन में दवाओं के बड़े पैमाने पर उपयोग के कारण गिद्धों की तेजी से घटती आबादी को संरक्षित करने के लिए झारखंड में एक 'गिद्ध रेस्तरां' स्थापित किया गया है।
- गिद्ध रेस्तरां एक अछूता क्षेत्र है जहां गिद्धों और अन्य मुर्दाखोरो के लिए गैर विषैले, जहर मुक्त मांस और शव उपलब्ध कराए जाते हैं।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES KHAN SIR

- पहला 'गिद्ध रेस्तरां' 2015 में पश्चिमी घाट में भूख से मर रहे सफेद दुम वाले गिद्धों के बच्चों के वीडियो के जवाब में महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के फांसाड वन्यजीव अभयारण्य में आया था।
- ऐसे चार अन्य रेस्तरां गढ़चिरौली में और एक नासिक जिले के हरसुल में, ये सभी महाराष्ट्र में और हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में हैं।

8. भारत में हिम तेंदुए का संरक्षण

8.1. हिम तेंदुआ

- हिम तेंदुआ (*पेंथेरा उनसिया* या *उनसिया उनसिया*) आमतौर पर 3000 मीटर से ऊपर, हिमालय की उच्च ऊंचाई वाली श्रेणियों और मध्य एशिया में भी पाए जाते हैं। 2023 तक, वैश्विक जनसंख्या 4,000-6,500 अनुमानित है।
- हिम तेंदुए की निवास सीमा एशिया के 12 देशों के पर्वतीय क्षेत्रों में फैली हुई है: अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिज़ गणराज्य, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान।
- कुल सीमा में लगभग 772,204 वर्ग मील का क्षेत्र शामिल है, जिसमें 60% निवास स्थान चीन में पाया जाता है। हालाँकि, हिम तेंदुए के 70% से अधिक निवास स्थान अभी भी अज्ञात हैं।
- होम रेंज का आकार नेपाल में 4.6-15.4 वर्ग मील से लेकर मंगोलिया में 193 वर्ग मील तक भिन्न हो सकता है।
- शिकार घनत्व और निवास स्थान की गुणवत्ता के आधार पर जनसंख्या घनत्व <0.1 से 10 या अधिक व्यक्ति प्रति 38.6 वर्ग मील तक हो सकता है।
- भारतीय हिमालय में हिम तेंदुए का आवास जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में 90,000 वर्ग किमी से कम होने का अनुमान है, जिसमें से लगभग 34,000 वर्ग किमी को अच्छा आवास माना जाता है।
- वे IUCN रेड लिस्ट में **सुभेद्य** (Vulnerable) के रूप में सूचीबद्ध हैं।

8.1.1. हिम तेंदुआ क्यों महत्वपूर्ण है?

- हिम तेंदुआ पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र के शीर्ष पर है।
- वे पृथ्वी पर कुछ कठोर परिस्थितियों में रहने के लिए विकसित हुए हैं।
- वे एक शीर्ष शिकारी के रूप में और उनके उच्च ऊंचाई वाले आवास के स्वास्थ्य के संकेतक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- यदि हिम तेंदुए की आबादी किसी जगह विकसित हो रही है, तो अनगिनत अन्य प्रजातियां भी बढ़ेंगी। हिम तेंदुए की रक्षा करके, भारतीय उपमहाद्वीप के लिए मीठे पानी के सबसे बड़े स्रोतों में से एक नाजुक पहाड़ी परिदृश्य का संरक्षण सुनिश्चित किया जाता है।

8.1.2. संरक्षण के मुद्दे

- उनका शिकार उनकी खाल के लिए किया जाता है, जबकि उनकी हड्डियों और शरीर के अन्य अंगों की भी पारंपरिक एशियाई दवाओं में उपयोग की मांग है।
- हिम तेंदुओं की प्रतिशोधात्मक हत्या भी इस प्रजाति के पशुओं के लिए एक बड़ा खतरा है।
- वे अक्सर स्थानीय किसानों द्वारा मारे जाते हैं क्योंकि वे भेड़, बकरी, घोड़े और याक के बछड़ों जैसे पशुओं का शिकार करते हैं।
- जिन जानवरों का हिम तेंदुआ आम तौर पर शिकार करता है- जैसे अर्गाली-भेड़ भी स्थानीय समुदायों द्वारा शिकार किए जाते हैं।
- हिम तेंदुओं को जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियरों के पिघलने और उनके क्षेत्रों में मानव बस्तियों और विकासात्मक गतिविधियों में वृद्धि के कारण आवास और शिकार के नुकसान का भी सामना करना पड़ता है।

8.2. प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड

8.2.1. प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड की शुरुआत

- जनवरी 2009 में, भारत सरकार ने भागीदारी नीतियों और कार्यों के माध्यम से संरक्षण को बढ़ावा देकर उच्च ऊंचाई वाले वन्यजीवों की आबादी और उनके आवासों की भारत की अनूठी प्राकृतिक विरासत की रक्षा और संरक्षण के लिए 'प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड' लॉन्च किया था।
- यह परियोजना संरक्षण के लिए एक परिदृश्य दृष्टिकोण पर जोर देती है, जिसमें अपेक्षाकृत उच्च संरक्षण मूल्यों वाले छोटे कोर जोन की पहचान और समर्थन किया जाता है, जबकि बड़े परिदृश्य को इस तरह से प्रबंधित किया जाता है कि स्थानीय समुदायों को आवश्यक विकास लाभ प्रदान किए जाते रहे।

8.2.2. प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड का उद्देश्य

- वन्यजीव संरक्षण के लिए एक परिदृश्य-स्तरीय दृष्टिकोण की सुविधा प्रदान करना।
- मौजूदा संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क को युक्तिसंगत बनाना और संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन में सुधार करना।
- संकटग्रस्त प्रजातियां जैसे कि हिम तेंदुआ और इसकी शिकार प्रजातियों के लिए केंद्रित संरक्षण और पुनर्प्राप्ति कार्यक्रमों का समर्थन करना।
- वन्यजीव संरक्षण और कानून प्रवर्तन के लिए मजबूत उपायों को बढ़ावा देना।
- मानव-वन्यजीव संघर्षों की बेहतर समझ और प्रबंधन को बढ़ावा देना।
- उच्च ऊंचाई वाले हिमालयी और ट्रांस-हिमालयी जैव-भौगोलिक क्षेत्रों में खराब हुए परिदृश्य को पुनर्स्थापित करना।
- संरक्षण के लिए ज्ञान आधारित दृष्टिकोण और वन्यजीव प्रबंधन के लिए एक अनुकूली ढांचे को बढ़ावा देना।
- स्थानीय क्षमता, संरक्षण शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना।

KGS IAS

8.2.3. परियोजना क्षेत्र

भारतीय वन्यजीव संस्थान और मैसूर स्थित नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन के सक्रिय सहयोग से यह परियोजना पांच हिमालयी राज्यों में चल रही है:

- जम्मू और कश्मीर
- हिमाचल प्रदेश
- उत्तराखंड
- अरुणाचल प्रदेश
- सिक्किम

8.3. अन्य संरक्षण प्रयास

8.3.1. WWF-इंडिया का "हमारे हिम तेंदुओं को बचाओ कार्यक्रम"

- WWF-इंडिया ने टाटा हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी के साथ साझेदारी में 10 जनवरी 2014 को SOS ऑनलाइन क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म का अनावरण करके प्रोजेक्ट हमारे हिम तेंदुओं को बचाओ (Save Our Snow Leopards (SOS)) लॉन्च किया।
- SOS क्राउड फंडिंग अभियान भारत में प्रजातियों के संरक्षण के लिए पहला क्राउड-फंडेड अभियान था, जिससे व्यक्तियों को संरक्षण परियोजनाओं का समर्थन करने और सीधे फंड देने का मौका मिला।
- जुटाई गई धनराशि का उपयोग WWF की हिम तेंदुआ संरक्षण परियोजनाओं को बढ़ाने के लिए किया जाना है जैसे:
    - रेंज राज्यों में हिम तेंदुओं की सटीक स्थिति और वितरण का अध्ययन करने के लिए कैमरा ट्रैप स्थापित करना;
    - हिम तेंदुए के आवासों में स्थानीय समुदायों के लिए शिकारी प्रूफ पशुधन कलमों के निर्माण का समर्थन करना जो हिम तेंदुए-मानव संघर्ष के प्रबंधन में मदद करेगा।

8.3.2. भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र

- उत्तराखंड उत्तरकाशी के जंगलों में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र विकसित करने जा रहा है।
- यह केंद्र संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के साथ उत्तराखंड वन विभाग द्वारा विकसित किया जाएगा।
- इसका मुख्य उद्देश्य संरक्षण, हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र की बहाली और आजीविका का सृजन करना है।
- यह हिम तेंदुओं और विभिन्न अन्य लुप्तप्राय हिमालयी प्रजातियों के संरक्षण के लिए जिम्मेदार होगा।

8.3.3. हिमालय संरक्षक

- यह एक सामुदायिक स्वयंसेवी कार्यक्रम है जिसे हिम तेंदुओं की रक्षा के लिए अक्टूबर 2020 में शुरू किया गया था।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

8.4. वैश्विक पहल

8.4.1. वैश्विक हिम तेंदुआ और पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण (Global Snow Leopard and Ecosystem Protection-GSLEP)

- GSLEP हिम तेंदुए और इसके अनूठे पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अपनी तरह का पहला अंतर-सरकारी गठबंधन है।
- यह 2013 में बनाया गया था जब अधिकारी, राजनेता और संरक्षणवादी इस प्रजाति और इसके निवास स्थान के संरक्षण में सहयोग करने के लिए बिश्केक घोषणा (2013) में निहित एक आम संरक्षण रणनीति पर पहुंचे।
- इसका नेतृत्व एशिया के 12 देशों के पर्यावरण मंत्रियों द्वारा किया जाता है जो हिम तेंदुए की होम रेंज बनाते हैं। ये अफगानिस्तान, भूटान, चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान हैं।

- इसका सचिवालय बिश्केक में स्थित है, और किर्गिज़ गणराज्य के प्राकृतिक संसाधन, पारिस्थितिकी और तकनीकी पर्यवेक्षण मंत्रालय द्वारा होस्ट किया जाता है।
- भारत 2013 से GSLEP कार्यक्रम का एक पक्ष है।

8.4.2. बिश्केक घोषणा

- 23 अक्टूबर, 2013 को हिम तेंदुओं के संरक्षण पर पहले वैश्विक मंच के दौरान बिश्केक घोषणा को अपनाया गया था।
- 2014 में, बिश्केक घोषणा की एक वर्ष की वर्षगांठ मनाने के लिए, मंच पर बारह देशों ने **23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस** के रूप में घोषित किया।

9. भारत में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) का संरक्षण

9.1. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड

- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दुनिया में पाई जाने वाली सबसे बड़ी उड़ने वाली पक्षी प्रजातियों में से एक है।
- यह कभी भारत और पाकिस्तान के घास के मैदानों में व्यापक था, लेकिन अब यह अपनी पूर्व सीमा के 95 प्रतिशत से विलुप्त हो गया है और तीन वन्यजीव अभ्यारण्यों से गायब हो गया है जो कभी इसके संरक्षण के लिए घोषित किए गए थे।

9.1.1. ग्रेट इंडियन बस्टर्ड से जुड़े कुछ तथ्य

- वैज्ञानिक नाम: *आर्डियोटिस निग्रिसेप्स*
- जनसंख्या: दुनिया भर में 200
- ऊँचाई: 100 cm
- लंबाई: 210-250 cm का विंगस्पैन
- स्थिति: IUCN रेड लिस्ट में **'गंभीर रूप से संकटग्रस्त'** के रूप में सूचीबद्ध
- भौगोलिक आवास: यह भारत और पाकिस्तान के मूल निवासी है।

9.1.2. भारत में रेंज राज्य

- भारत में, पक्षी ऐतिहासिक रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में पाया जाता था।
- आज, बस्टर्ड आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अलग-अलग इलाकों तक सीमित है।

9.1.3. सुरक्षा की स्थिति

- यह भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में सूचीबद्ध है। यह CMS और CITES के परिशिष्ट I में भी सूचीबद्ध है।
- इसे पर्यावरण और वन मंत्रालय के वन्यजीव आवासों के एकीकृत विकास के तहत पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम के लिए प्रजातियों में से एक के रूप में भी पहचाना गया है।
- यह राजस्थान का राज्य पक्षी है और राजस्थान 2012 से इस पक्षी के लिए एक संरक्षण परियोजना भी चला रहा है।

9.2. संरक्षण के मुद्दे

- इस प्रजाति के लिए सबसे बड़ा खतरा शिकार है, जो अभी भी पाकिस्तान में प्रचलित है।
- इसके अलावा इन्हे संरक्षित क्षेत्रों के बाहर कभी-कभार अवैध शिकार, हाई टेंशन बिजली के तारों से टक्कर, तेज गति से चलने वाले वाहन और गांवों में खुले में घूमने वाले कुत्ते से खतरा हैं।
- अन्य खतरों में व्यापक कृषि विस्तार और मशीनीकृत खेती, सिंचाई, सड़क, बिजली के खंभे, साथ ही खनन और औद्योगीकरण जैसे बुनियादी ढांचे के विकास के परिणामस्वरूप आवास हानि और परिवर्तन शामिल हैं।
- थार रेगिस्तान दुनिया का एकमात्र परिदृश्य है जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को एक व्यवहार्य प्रजनन आबादी प्रदान करता है, और यह इस बात को ध्यान में रखते हुए 3,100 वर्ग किमी से अधिक क्षेत्रों को संरक्षित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया था और 1980 के दशक में एक अभयारण्य घोषित किया गया था।

KGS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform IAS

- रेगिस्तान में जीवन शैली में बदलाव और अनियमित मानवीय गतिविधियों ने प्रजातियों को खतरे में डाल दिया है, पार्क के आसपास की हजारों पवन चक्कियां भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रही हैं।
- GIB की आबादी भारत में लगभग 150 बताई जाती है, विशेष रूप से राजस्थान, जिसमें इस प्रजाति का 70-80 प्रतिशत शामिल है।

9.3. संरक्षण के प्रयास

9.3.1. प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड

- 2012 में, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने बस्टर्ड रेंज राज्यों में "प्रोजेक्ट बस्टर्ड" नामक एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए।
- प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट की तर्ज पर, अन्य ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राज्यों जैसे राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र को धन प्राप्त करने और दीर्घकालिक संरक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए केंद्र को प्रजाति रिकवरी योजना प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया था।
- ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की शेष आबादी के संरक्षण के उद्देश्य से, जिसे राजस्थान में स्थानीय रूप से गोडावन कहा जाता है, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नामक एक संरक्षण कार्यक्रम जून 2013 में राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया था।

9.3.2. डेजर्ट नेशनल पार्क

- रेगिस्तान पारिस्थितिकी तंत्र के प्रतिनिधि के रूप में, जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में फैले थार रेगिस्तान के 3162 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को वर्ष 1980 में डेजर्ट नेशनल पार्क (DNP) अभयारण्य के रूप में नामित किया गया था, जिसका उद्देश्य ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सहित इस रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र की अद्वितीय जैविक विविधता का संरक्षण था।
- जन्तु घटकों में, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड 35 से 40 तक की आबादी वाली प्रमुख प्रजाति है, जो मुख्य रूप से DNP अभयारण्य के सुदाश्री परिदृश्य क्षेत्र में केंद्रित है, जो अभयारण्य का उत्तरी भाग है।

9.3.3. बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम

- WWF-इंडिया 'निवासी बस्टर्ड रिकवरी कार्यक्रम के लिए राज्य कार्य योजना के लिए दिशानिर्देश' (Guidelines for the State Action Plan for Resident Bustard Recovery Programme) विकसित करने में भारत सरकार का भागीदार है।
- इसने घटती आबादी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रित बस्टर्ड संरक्षण कार्यक्रम को लागू करने के महत्व पर प्रकाश डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

9.3.4. संरक्षण प्रजनन सुविधा

- MoEFCC, राजस्थान सरकार और भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) ने जून 2019 में जैसलमेर में डेजर्ट नेशनल पार्क में एक संरक्षण प्रजनन सुविधा भी स्थापित की है।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स की बंदी (captive) आबादी का निर्माण करना और आबादी बढ़ाने के लिए चूजों को जंगल में छोड़ना है।

9.3.5. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्षेत्र में विद्युत लाइनों का निर्माण) विनियम, 2023 (Central Electricity Authority (Construction of Electric Lines in Great Indian Bustard Area) Regulations, 2023)

- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्षेत्र में विद्युत लाइनों का निर्माण) विनियम, 2023 का प्रारूप जारी किया है, जिसमें 'ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्षेत्र' के माध्यम से बिजली लाइनों को भूमिगत या उपरि होना अनिवार्य बना दिया गया है।
- नियमों के अनुसार, 'ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्षेत्र' से गुजरने वाली 33 KV और उससे नीचे की सभी विद्युत लाइनें भूमिगत होंगी, जबकि 33 KV से ऊपर की लाइनें बर्ड फ्लाइट डायवर्टर के साथ उपरि लाइनें होंगी।
- यह नियम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स को खतरे के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय में एक मामले के प्रकाश में आए है।

- अप्रैल 2021 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि राजस्थान और गुजरात में कोर और संभावित GIB आवासों में सभी उपरि बिजली पारेषण लाइनों को भूमिगत किया जाना चाहिए।

10. भारत में कश्मीरी महामृग (हंगुल) संरक्षण

10.1. कश्मीरी महामृग

- हंगुल या कश्मीरी महामृग (*सरवस एलाफस हंगलू*) लाल हिरण की चार सबसे पूर्वी उप-प्रजातियों में से एक है जो एशिया में पाई जाती है और भारत के उत्तर-पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में कश्मीर पहाड़ों के लिए स्थानिक है।
- यह जम्मू और कश्मीर और उत्तरी हिमाचल प्रदेश की ऊंची घाटियों और पहाड़ों में घने नदी के जंगलों में पाया जाता है।
- कश्मीर में, यह मुख्य रूप से दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है जहाँ इसे संरक्षण प्राप्त है।
- इसे IUCN रेड लिस्ट में **'गंभीर रूप से संकटग्रस्त'** के रूप में नामित किया गया है।

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

10.1.1. संरक्षण के मुद्दे

- हंगुल 20वीं शताब्दी की शुरूआत में व्यापक रूप से कश्मीर के पहाड़ी और पहाड़ी क्षेत्रों में पाए गए थे, जिनकी संख्या लगभग 5,000 होने का अनुमान है।
- हालाँकि, निवास स्थान के विनाश, घरेलू पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई और अवैध शिकार के कारण, 1970 में यह संख्या घटकर लगभग 150 रह गई।
- घुमंतू पशुओं के चरवाहों की घुसपैठ और उनके रक्षक कुत्तों द्वारा शावकों का शिकार भी एक महत्वपूर्ण समस्या है जिससे प्रभावी ढंग से निपटा नहीं जा रहा है।
- इसके अलावा, दाचीगाम परिदृश्य में हंगुल की आबादी में अब अन्य प्रजातियों की तुलना में कम आनुवंशिक भिन्नता दिखाई देती है और इस प्रकार आंतरिक प्रजनन के प्रभावों के प्रति संवेदनशील हो सकती है।

10.2. संरक्षण के प्रयास

10.2.1. प्रोजेक्ट हंगुल

- 1970 के दशक में, जम्मू और कश्मीर सरकार ने IUCN और विश्व वन्यजीव कोष (WWF) के सहयोग से हंगुल और उसके आवास की सुरक्षा के लिए एक परियोजना तैयार की।
- परियोजना को प्रोजेक्ट हंगुल के रूप में जाना जाने लगा और वर्ष 1980 तक इसकी जनसंख्या बढ़कर 340 हो गई।
- इसमें इसके संरक्षण और रक्षण के लिए अन्य उपायों के साथ हंगुल का कृत्रिम प्रजनन शामिल था।

10.2.2. हंगुल संरक्षण परियोजना

- वन्यजीव संरक्षण कोष की स्थापना 2010 में जम्मू और कश्मीर में वन्य जीवन और जंगल की रक्षा के उद्देश्य से की गई थी, जिसकी शुरुआत हंगुल के संरक्षण से हुई थी।
- इसे सामुदायिक समर्थन, जागरूकता और वन्य जीवन के प्रबंधन के माध्यम से प्राप्त किया जाना था। इसका उद्देश्य प्रकृति के प्रति दृष्टिकोण बदलना और मनुष्यों और जानवरों के बीच सद्भाव को बढ़ावा देना भी था।
- वन्यजीव संरक्षण कोष ने हंगुल संरक्षण परियोजना शुरू की। कोष का उद्देश्य कश्मीर में हंगुल की विभिन्न प्रजातियों से संबंधित मुद्दों को हल करना है, विशेष रूप से दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में।

10.3. हंगुल गणना

- मार्च 2021 में, हंगुल की आबादी का अनुमान लगाने के लिए कश्मीर में की गई एक गणना ने शुरुआती निष्कर्षों को उत्साहजनक दिखाया।
- कश्मीर घाटी में जनसंख्या में मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। 2019 में दर्ज 237 की तुलना में अब यह 261 है।

KGS IAS KHAN SIR

- नवीनतम गणना से यह भी पता चलता है कि प्रति 100 महिलाओं पर हंगुल पुरुषों की संख्या 126 थी, जो 2019 में 153 थी।
- प्रति 100 मादा शावकों की संख्या 2019 में 9 से बढ़कर 2021 में 13.4 हो गई है।
- अनुपात आदर्श रूप से 40-50 नर/100 मादा और 60 मृग/100 मादा से अधिक होना चाहिए।

11. भारत में ओलिव रिडले कछुओं का संरक्षण

11.1. ओलिव रिडले

- ओलिव रिडले समुद्री कछुआ (*लेपिडोचेलीस ओलिवेसिया*) को पैसिफिक रिडले समुद्री कछुआ भी कहा जाता है।
- ओलिव रिडले कछुए विश्व में पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुओं में सबसे छोटे और सबसे प्रचुर मात्रा में हैं, जो प्रशांत, अटलांटिक और भारतीय महासागरों के गर्म पानी में रहते हैं।
- ये कछुए अपना पूरा जीवन समुद्र में व्यतीत करते हैं, और एक वर्ष के दौरान भोजन और संभोग के मैदानों के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी तय करते हैं।
- मादाएं अपने अंडे देने के लिए उसी समुद्र तट पर लौटती हैं जहां से वे पहली बार निकली थीं।
- इस अभूतपूर्व घोंसले बनाने की क्रिया में, अंडे देने के लिए पांच से सात दिनों की अवधि में 600,000 और उससे अधिक मादाएं पानी से निकलती हैं।
- वे अपने अंडे शंक्वाकार घोंसलों में लगभग डेढ़ फीट गहरे रखते हैं, जिसे वे अपने हिंड फ्लिपर्स के साथ श्रमसाध्य रूप से खोदते हैं।
- ओलिव रिडले को IUCN के अनुसार **सुभेद्य** (Vulnerable) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और CITES के परिशिष्ट I में सूचीबद्ध है।

11.2. भारत में आवास

- भारत में उड़ीसा का तट ओलिव-रिडले के लिए सबसे बड़ा सामूहिक घोंसला बनाने वाला स्थल है, इसके बाद मैक्सिको और कोस्टा रिका के तट आते हैं।

- ऋशिकुल्या तट को विश्व में एक प्रमुख घोंसला बनाने वाली जगह माना जाता है और हर साल लाखों की संख्या में ओलिव रिडले अंडे देने के लिए यहाँ आते हैं।
- गहिरमाथा समुद्र तट और देबी नदी का मुहाना ओडिशा के दो अन्य प्रमुख नीडन स्थल हैं।
- वे आंध्र प्रदेश में स्थित कृष्णा वन्यजीव अभयारण्य के साथ तमिलनाडु के तट पर भी प्रजनन करते हैं।

11.3. संरक्षण के मुद्दे

मानव गतिविधियों के कारण ओलिव रिडले को अपने प्रवासी मार्ग, आवास और समुद्र तटों पर घोंसले को गंभीर खतरों का सामना करना पड़ता हैं जैसे कि,

- कछुआ अमित्र मछली पकड़ने की प्रथाएं,
- बंदरगाहों और पर्यटन केंद्रों के लिए नीडन समुद्र तटों का विकास और दोहन।
- उनका मांस, खोल और चमड़े, और उनके अंडे के लिए बड़े पैमाने पर शिकार हो रहा हैं।
- **जलवायु परिवर्तन:** एक समुद्री कछुए के जीवन के सभी चरण पर्यावरणीय परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं जैसे कि तापमान-यहाँ तक कि संतति का लिंग भी।
    - जलवायु परिवर्तन के कारण असामान्य रूप से गर्म तापमान सामान्य लिंगानुपात को बाधित कर सकता है, जिसके परिणामस्वरूप नर शिशु कछुओं की संख्या कम हो सकती है।
    - गर्म समुद्र की सतह का तापमान भी समुद्री कछुओं के लिए महत्वपूर्ण चारागाहों के नुकसान का कारण बन सकता है, जबकि तेजी से गंभीर तूफान और समुद्र के स्तर में वृद्धि महत्वपूर्ण घोंसले के समुद्र तटों को नष्ट कर सकती है और घोंसलों को नुकसान पहुंचा सकती है।

11.4. संरक्षण के प्रयास

11.4.1. ऑपरेशन ओलिविया

- यह 1980 के दशक की शुरुआत में भारतीय तट रक्षक द्वारा शुरू किया गया था।

KGS IAS

- हर साल, यह ऑपरेशन ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा में मदद करता है क्योंकि वे नवंबर से दिसंबर तक प्रजनन और नीडन के लिए ओडिशा तट पर इकट्ठा होते हैं।
- तट रक्षक संपत्तियों जैसे तेज गश्ती जहाज, एयर कुशन जहाज, इंटरसेप्टर क्राफ्ट और डोर्नियर विमान का उपयोग करते हुए नवंबर से मई तक चौबीसों घंटे निगरानी की जाती है।
- यह अवैध मछली पकड़ने की गतिविधियों को भी रोकता है।

11.4.2. कछुआ बहिष्कृत उपकरण

- भारत में आकस्मिक हत्याओं को कम करने के लिए, ओडिशा सरकार ने जाल के लिए कछुआ बहिष्कृत उपकरण (TEDs) का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है। यह विशेष रूप से एक निकास कवर के साथ डिज़ाइन किया गया जाल है जो मछलियों को पकड़ने के दौरान कछुओं को भागने की जगह देता है।

12. भारत में पैंगोलिन संरक्षण

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform

12.1. भारत में पैंगोलिन

- पैंगोलिन, जिन्हें पपड़ीदार एंटइटर्स के रूप में भी जाना जाता है, वे एकमात्र ज्ञात स्तनधारी हैं जिनके बड़े केराटिन शल्क उनकी त्वचा को ढके रहते हैं।
- वे पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे उन कुछ कीड़ों की आबादी पर भी नज़र रखते हैं जिनका वे शिकार करते हैं।
- दुनिया भर में पाई जाने वाली आठ प्रजातियों (एशिया और अफ्रीका में चार-चार) में से दो भारत में पाई जाती हैं: इंडियन पैंगोलिन (*मैनिस क्रैसिकाउडाटा*) और चाइनीज पैंगोलिन (*मैनिस पेंटाडैक्टाइला*)।
- भारतीय पैंगोलिन उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर हिमालय के दक्षिण में पूरे देश में पाया जाता है, जबकि चीनी पैंगोलिन की सीमा असम और पूर्वी हिमालय से होती है।
- IUCN रेड लिस्ट के अनुसार भारतीय पैंगोलिन को **'संकटग्रस्त'** के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और चीनी पैंगोलिन को **'गंभीर रूप से संकटग्रस्त'** के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

12.1.1. संरक्षण के मुद्दे

- भारत में पैंगोलिन के लिए प्रमुख खतरे पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों, विशेष रूप से चीन और वियतनाम में इसके मांस और स्केल/पपड़ी के लिए स्थानीय खपत (जैसे प्रोटीन स्रोत और पारंपरिक दवा के रूप में) और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए शिकार और अवैध शिकार हैं।
- पैंगोलिन विश्व में सबसे अधिक तस्करी वाले स्तनधारियों में से हैं।
- TRAFFIC के विश्लेषण के अनुसार, 2018-2022 तक भारत में अवैध वन्यजीव व्यापार के लिए 1,203 पैंगोलिन का शिकार किया गया था।
- जनसंख्या और वितरण पर अपर्याप्त जानकारी शिकार और अवैध शिकार से उत्पन्न होने वाले खतरों को और बढ़ा देती है।
- उन्हें वनों की कटाई और आवास के नुकसान से भी खतरा है।

12.2. संरक्षण के प्रयास

- भारत में, वे वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 द्वारा संरक्षित हैं जो इसके शिकार, व्यापार या किसी अन्य प्रकार के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है।
- 2017 में CITES द्वारा पैंगोलिन के वाणिज्यिक व्यापार पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था।
- फरवरी 2015 में, TRAFFIC ने WWF-India और वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (Wildlife Crime Control Bureau-WCCB) के साथ साझेदारी में पैंगोलिन में अवैध व्यापार को रोकने की दिशा में जागरूकता पैदा करने और प्रयासों को मोड़ने के लिए एक सोशल मीडिया अभियान शुरू किया था।

मैनिस मिस्टीरिया

- वैज्ञानिकों ने पैंगोलिन की एक नई प्रजाति की खोज की है, जिसका नाम "मैनिस मिस्टीरिया" है।
- नई पहचानी गई पैंगोलिन प्रजाति 2015 और 2019 में चीन के युन्नान प्रांत में जब्त किए गए स्केल के विस्तृत अध्ययन से सामने आई।
- ऐसा माना जाता है कि यह नई प्रजाति लगभग पाँच मिलियन वर्ष पहले अपने फिलीपीन और

KGS IAS KHAN GLOBAL STUDIES KHAN SIR

मलायन रिश्तेदारों से अलग हो गई थी।

13. चीता पुन: परिचय परियोजना (Cheetah Reintroduction Project)

13.1. चीता पुन: परिचय परियोजना की शुरुआत

- चीता पुन: परिचय परियोजना, जिसका उद्देश्य भारत में चीतों की आबादी को बहाल करना है, औपचारिक रूप से 17 सितंबर, 2022 को शुरू हुई।
- 1952 में चीता को आधिकारिक रूप से भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। आखिरी चीता 1947 में मारा गया था।

13.2. चीता पुन: परिचय परियोजना की पृष्ठभूमि

- भारत में चीता का परिचय प्रोजेक्ट चीता के तहत किया जा रहा है, जो दुनिया की पहली अंतर-महाद्वीपीय बड़ी वन मांसाहारी ट्रांसलोकेशन परियोजना है।
- हालाँकि, जिन चीतों को फिर से लाया जा रहा है वे अफ्रीकी चीते हैं।
- भारत के स्वदेशी चीते जो विलुप्त हो गए, वे एशियाई चीते हैं जो आज केवल ईरान में बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं।
- चीता के पुन: परिचय के लिए पहली पसंद ईरान था और 1970 के दशक में ईरान के शाह के साथ बातचीत चल रही थी।
- लेकिन 1979 में ईरान की इस्लामी क्रांति में शाह के शासन को उखाड़ फेंकने से इस पहल का अंत हो गया।

Figure: भारत में चीता का पुन: परिचय

13.3. चीता पुन: परिचय परियोजना का महत्व

- चीता भारत में खुले जंगल और चरागाह पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली में मदद करेगा। यह जैव विविधता के संरक्षण में मदद करेगा और जल सुरक्षा, कार्बन पृथक्करण और मिट्टी की नमी संरक्षण जैसी पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बढ़ाएगा, जिससे समाज को बड़े पैमाने पर लाभ होगा।

13.4. चीता के पुन: परिचय के लिए चिंताएं

- भारत में चीतों की मृत्यु एक कारण से हुई और वह कारण - मानव दबाव - प्रजातियों के गायब होने के बाद से 70 वर्षों में और भी बदतर हो गया है।
- साथ ही वे ऐसे क्षेत्र में होंगे जो तेंदुआ और बाघों की आबादी वाले क्षेत्रों के बीच है।

- यदि ये बड़ी बिल्लियाँ चीते पर हमला करती हैं या भोजन के लिए उसके साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं, तो चीता जीवित रहने के लिए संघर्ष करेगा क्योंकि वह मजबूत तेंदुओं या बाघों के खिलाफ जीवित नहीं रह सकता।
- अफ्रीकी चीता प्राप्त करने की पहल न तो विज्ञान आधारित है और न ही राष्ट्रीय संरक्षण प्राथमिकता है। यह उच्च प्राथमिकता वाले संरक्षण के मुद्दों से महत्वपूर्ण रूप से ध्यान भटकाएगा जैसे कि बहुत विलंबित शेर स्थानांतरण।

13.5. नया विकास

- जनवरी 2024 में, स्थानांतरित नामीबियाई चीतों में से एक 'आशा' ने मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में तीन शावकों को जन्म दिया था।
- अगले कुछ महीनों तक नवजात शावकों पर पशु चिकित्सकों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाएगी। उन्हें जंगल में कब छोड़ा जाए इसका निर्णय केंद्र सरकार द्वारा स्थापित समिति करेगी।
- मार्च 2023 में, एक और चीता, सियाया, जिसे बाद में ज्वाला नाम दिया गया, ने चार शावकों को जन्म दिया था। हालाँकि, उनमें से केवल एक ही जीवित बचा।

KGS IAS
KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR